उत्तराखण्ड निवेश और आधारिक संरचना (विकास और विनियमन) विधेयक, 2023 (उत्तराखंड विधेयक संख्या......, वर्ष 2023)

निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से आधारिक संरचना की परियोजना के वित्तपोषण, डिजाइन, निर्माण रखरखाव संज्ञान के वातावरण सक्षम बनाने एवं उसमें संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिये,

विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :—

अध्याय-1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

- (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड निवेश और आधारिक संरचना (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2023 है।
- (2) यह संपूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में लागू होगा।
- (3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

परिभाषाएँ

2

इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो।

- (1) "प्राधिकरण" से धारा 14 के अधीन उत्तराखण्ड निवेश और आधारिक संरचना नियामक प्राधिकरण (UIIRA) अभिप्रेत है;
- (2) **बोर्ड** से धारा 4 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड निवेश एवं आधारिक संरचना विकास बोर्ड अभिप्रेत है;
- (3) "उपविधि" से बोर्ड द्वारा धारा 10 के तहत बनाई गई उपविधि अभिप्रेत हैं;
- (4) सी०सी०आई०ई० (CCIE) से उत्तराखण्ड सरकार द्वारा गठित स्वतंत्र विशेषज्ञों की सुलह समिति अभिप्रेत हैं;
- (5) "अध्यक्ष" से प्राधिकरण के अध्यक्ष अभिप्रेत हैं;
- (6) किसी परियोजना के लिए "कमान-क्षेत्र" किसी परियोजना से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने वाला क्षेत्र अभिप्रेत है और जहां सृजित आर्थिक गतिविधि उपरोक्त परियोजना पर महत्वपूर्ण रूप से आधारित है। UIIDB के अनुरोध पर, विशेष रूप से किसी भी परियोजना के लिए, ऐसे क्षेत्र को प्रासंगिक सरकारी

प्रमाणित प्रति 72 लोक सूचना अधिकारी विधान समा सदिवालय

निकाय / नियोजन प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित किया जाना है;

- (7) "सिमिति" से एक सिमिति अभिप्रेत है जिसमें क्षेत्रीय उप—सिमिति, परियोजना कार्यान्वयन उप—सिमिति या किसी अन्य नाम से ज्ञात कोई अन्य सिमिति शामिल है, जिसे इस अधिनियम के तहत बोर्ड द्वारा उन्हें सौंपे गए प्रयोजनों के लिए गठित किया गया है;
- (8) "रियायत" में किसी परियोजना के किसी भी पहलू के संबंध में किसी रियायतग्राही को दिया गया कोई अधिकार या ब्याज, साथ ही किसी परियोजना की व्यवहार्यता और व्यावसायिक प्रभावकारिता को सुरक्षित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा दी गई कोई सहायिकी, आर्थिक सहायता, अनुदान या अन्य समान वित्तीय प्रोत्साहन शामिल हैं;
- (9) "रियायत करार" इस अधिनियम के संदर्भ में एक रियायतग्राही और एक सार्वजनिक अभिकरण के बीच एक परियोजना में निजी भागीदारी के प्रयोजनों के लिए निष्पादित अनुबंधों में से कोई भी, या अनुसूची ॥ में निर्दिष्ट प्रतिमान के अनुसार उसके तहत बनाए गए नियम अभिप्रेत है;
- (10) "रियायत शुल्क" से इस अधिनियम के प्रावधानों, उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार एक परियोजना शुरू करने के लिए रियायत देने के विचार में बोर्ड/अन्य कोई सरकारी विभाग/एजेन्सी को रियायतग्राही द्वारा भुगतान की जाने वाली आवश्यक धनराशि अभिप्रेत है;
- (11) "रियायतग्राही" से एक व्यक्ति, या कंपनी, न्यास, LLP (निगमित निकाय) जिसे इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के संदर्भ में चुना जाता है और रियायत अभिप्रेत है;
- (12) "विकास" में नई सुविधाओं का निर्माण, नई अवधारणाएँ, परियोजनाएँ और / या पुनर्वास, सुधार, विस्तार, परिवर्तन और मौजूदा सुविधाओं का प्रतिस्थापन शामिल है;
- (13) "विकास निधि" से धारा 11 के अन्तर्गत गठित उत्तराखण्ड निवेश एवं आधारिक संरचना विकास निधि अभिप्रेत है;
- (14) "विनिवेश" से क़िसी व्यक्ति को राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक निकाय के पास समानक या शेयरों की बिक्री अभिप्रेत है;
- (15) "व्यवहारिता रिपोर्ट" से बोर्ड द्वारा स्वयं या उसके उप-सलाहकारों के माध्यम से तैयार की गई रिपोर्ट जैसा कि

प्रमाणित प्रति े लोक सूचना अधिकारी विधान सभा सचिवालय उत्तराखण्ड

धारा 29 में वर्णित अभिप्रेत है;

- (16) "शुल्क" से इस अधिनियम के तहत बोर्ड द्वारा सेवाओं के प्रावधान, परिसम्पत्ति के विकास आदि के लिए अनुमत, लगाया और एकत्र किया गया शुल्क अभिप्रेत है;
- (17) "सरकारी विभाग" से इस अधिनियम के सन्दर्भ में सरकारी कम्पनी, सरकारी स्वामित्व एवं सरकारी नियत्रण वाले निगमों, सरकारी निदेशालयों, स्थानीय निकायों, राजकीय निकायों, या अन्य कोई सरकारी स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन निकाय अभिप्रेत है;
- (18) "आधारिक संरचना क्षेत्रक" से अनुसूची I में निर्दिष्ट एक आधारिक संरचना क्षेत्रक और इसमें ऐसे अन्य क्षेत्रक जिन्हें राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर अधिसूचित किया जाये, अभिप्रेत है;
- (19) आई०आर०आर० (IRR) से किसी परियोजना की प्रतिफल की गणना की गई वार्षिक आंतरिक प्रतिफल दर अभिप्रेत है जो वार्षिक आन्तरिक प्रतिफल दर परियोजना की लागत और राजस्व को ध्यान में रखता है;
- (20) "माइलस्टोन" से एक अनुसूची या संचित्र अभिप्रेत है जो निर्दिष्ट समय को इंगित करता है जिसके भीतर एक कार्य पूरा किया जाना है;
- (21) "अधिसूचना" से उत्तराखण्ड राज्य के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;
- (22) "विहित" से इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
- (23) "निजी सहभागिता" से राज्य सरकार या राज्य सरकार अभिकरण या राज्य सरकार निकाय के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा परियोजना के विकास या रखरखाव या संचालन में सहभागिता अभिप्रेत है, जैसा कि बोर्ड द्वारा समय—समय पर अनुमति दी जा सकती है;
- (24) "परियोजना" से किसी भी क्षेत्रक में एक परियोजना अभिप्रेत है, जिसमें निजी सहभागिता या वित्तीय स्रोतों के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए स्रोतों के अलावा विकास या रखरखाव या परिसंपत्ति / सुविधाओं / सेवा प्रावधान का संचालन शामिल हो सकता है;
- (25) "परियोजना आगम" से इस अधिनियम के अनुसार बोर्ड द्वारा

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी विधान सभा सचिवालव उत्तराखण्ड

रियायत शुल्क आदि सुविधा प्रदान की गई परियोजना द्वारा राज्य सरकार या किसी राज्य सरकार अभिकरण को उत्पन्न सभी आय/राजस्व अभिप्रेत है;

- (26) "सार्वजनिक निकाय" से राज्य सरकार द्वारा स्थापित या राज्य सरकार के नियंत्रण में कार्यरत निकाय अभिप्रेत है;
- (27) "सार्वजनिक (आधारिक संरचना) अभिकरण" से एक सरकारी विभाग, सरकारी कंपनी, सरकारी स्वामित्व या नियंत्रित निगम, स्थानीय प्राधिकरण या एक सार्वजनिक निकाय अभिप्रेत है, जो (आधारिक संरचना) क्षेत्रकों में परियोजनाओं का स्वामित्व, शासन या नियंत्रण करता है;
- (28) पींठपींठपींठ (PPP) नीति 2019 से राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई उत्तराखण्ड सार्वजनिक निजी भागीदारी नीति अभिप्रेत है;
- (29) "नियम" से राज्य सरकार द्वारा धारा 43 के अधीन बनाए गए नियम अभिप्रेत हैं;
- (30) "अनुसूची" से इस अधिनियम में संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;
- (31) "धारा" से इस अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;
- (32) "क्षेत्रीय नीति" से किसी क्षेत्र से संबंधित राज्य सरकार की नीति अभिप्रेत है;
- (33) "सेवा प्रदाता" से इस अधिनियम के तहत गठित अभिकरण या निकाय के अलावा कोई भी अभिकरण या निकाय अभिप्रेत है, जो बोर्ड को सेवाएं प्रदान करता है;
- (34) "विशेष प्रयोजन साधन" या एस०पी०वी० (SPV) से एक कंपनी अभिप्रेत है, जिसे एक परियोजना को निष्पादित करने के लिए एक रियायतग्राही द्वारा बनाया गया है;
- (35) "राज्य सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत हैं;
- (36) "प्रशुक्क" से एक पथ कर या शुक्क या अन्य कोई राशि जो परियोजना के उपयोगकर्ताओं द्वारा परियोजना के निर्माणकर्ता को देय हो, अभिप्रेत है;
- (37) यू०आई०आई०डी०बी० (UIIDB) से उत्तराखण्ड निवेश और आधारिक संरचना विकास बोर्ड अभिप्रेत है;
- (38) यू०आई०आई०डी०एफ० (UIIDF) से उत्तराखण्ड निवेश और आधारिक संरचना विकास निधि अभिप्रेत है;
- (39) यू०आई०आई०आर०ए० (UIIRA) से उत्तराखण्ड निवेश और आधारिक संरचना नियामक प्राधिकरण अभिप्रेत है;
- (40) वीoजीoएफo (VGF) से व्यवहार्यता गैप निधि अभिप्रेत है और

प्रमाणित प्रति लोक सूचना अधिकारी विधान सभा सिन्यालय

इसे समग्र परियोजना लागत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। यह रियायतग्राही के लिए परियोजना को वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए राज्य सरकार/बोर्ड द्वारा वहन की जाने वाली परियोजना लागत के हिस्से को संदर्भित करता है।

अध्याय-2 परियोजनाओं में निजी सहभागिता

निजी सहभागिता

3

(1) यह अधिनियम UIIDB द्वारा शुरू की गई सभी परियोजनाओं यथा निवेश और आधारिक संरचना परियोजनाओं पर लागू होगा। इसके अतिरिक्त, यह अधिनियम राज्य सरकार के विनिवेश और मुद्रीकरण परियोजनाओं के लिए लागू होगा।

परन्तु यह कि UIIDB द्वारा 25 (पच्चीस) करोड़ रुपये की न्यूनतम पूंजी लागत वाली परियोजनाएं ही की जाएगी। न्यूनतम पूंजी लागत की इस सीमा को समय-समय पर मंत्रिमण्डल द्वारा संशोधित किया जा सकता है;

परन्तु यह और कि बोर्ड के माध्यम से निष्पादित और निधि के माध्यम से वित्तपोषित परियोजनाएं राज्य सरकार को (आर बी आई रेपो दर + 4%) का न्यूनतम आई0आर0आर0 (IRR) प्रदान करेंगी, जो इस अधिनियम के तहत प्रदान किए गए किसी भी वी०जी०एफ0 (VGF) या अन्य समर्थन के बाद होगा। समय—समय पर मंत्रिमण्डल

द्वारा इस प्रभाव सीमा को संशोधित किया जा सकता है;
परन्तु यह और भी कि ऐसी परियोजनाओं के मामले में जिन्हें
वी०जी०एफ० (VGF) समर्थन की आवश्यकता है, परियोजना लागत
का अधिकतम 40% वीजीएफ के रूप में निधि से भुगतान किया जा
सकता है। 40% से अधिक वी०जी०एफ० (VGF) की आवश्यकता
वाली परियोजना को तभी लिया जा सकता है जब आवश्यक
अतिरिक्त वी०जी०एफ० (VGF) (परियोजना लागत का 40% से
अधिक) राज्य सरकार द्वारा बजटीय सहायता/अन्य माध्यमों से
प्रदान किया जाता है। समय—समय पर मंत्रिमण्डल द्वारा इस प्रभाव
सीमा को संशोधित किया जा सकता है।



अध्याय-3

उत्तराखण्ड निवेश और आधारिक संरचना विकास बोर्ड (UIIDB)

बोर्ड की स्थापना

(1) ऐसी तिथि से, जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा

नियत करे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक बोर्ड स्थापित किया जाएगा जिसे उत्तराखण्ड निवेश और आधारिक रारचना विकास बोर्ड कहा जाएगा।

(2) उप-धारा (1) के तहत स्थापित बोर्ड में एक सभापित और अन्य सदस्य शामिल होंगे, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित है:

बोर्ड की संरचना

11 4 PL 11 CA II
मुख्यमंत्री सभापति
वित्त मंत्री सदस्य
नियोजन मंत्री सदस्य
संबंधित प्रशासनिक विभाग विशेष आमंत्री (विभागों) के मंत्री
मुख्य सचिव, सदस्य
अवस्थापना विकास आयुक्त सदस्य
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सदस्य सचिव/सचिव, नियोजन
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सदस्य सचिव/सचिव, वित्त
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सदस्य सचिव/सचिव, उद्योग
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सदस्य सचिव/सचिव, शहरी विकास
मुख्यमंत्री के प्रमुख सदस्य संचिव/सचिव (मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत)
बोर्ड के प्रबंध निदेशक सदस्य सचिव
संबंधित प्रशासनिक विभाग विशेष आमंत्री (विभागों) के प्रशासनिक संचिव

प्रमाणित पति

लोक सूचना अधिकारी विधान सभा सहिदालय उत्तराखण्ड (3) बोर्ड उत्तराखण्ड सरकार के नियोजन विभाग के अधीन रहेगा।

बोर्ड द्वारा वांछित कोई अन्य विशेष आमंत्री

- (4) बोर्ड का कोरम सभापति और सदस्यों को शामिल करते हुए न्यूनतम एक तिहाई होगा
- (5) बोर्ड के सभापित के द्वारा उपसभापित का चयन बोर्ड के सदस्यों से किया जाएगा। चयनित उपसभापित द्वारा सभापित की अनुपस्थिति में बोर्ड बैठक की अध्यक्षता की जाएगी।

व्यक्ति

(6) बोर्ड द्वारा कार्यकारिणी सिमिति (EC) का गठन किया जाएगा जो बोर्ड को अपने प्रकार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगा। कार्यकारिणी सिमिति में निम्नलिखित शामिल होंगे, अर्थातः

	कार्यकारिणी	समिति का गठन	F (EC)	
मुख्य सचिव			सभापति	
अवस्थापना ।	विकास आयुत्त	T	सदस्य	
अपर सचिव/सचि		सचिव / प्रमुख	सदस्य	
सचिव / सचि	व, वित्त	सचिव/प्रमुख		
अपर सचिव/सचि	मुख्य व, उद्योग	सचिव / प्रमुख	सदस्य	
सचिव/सचि	व, शहरी विव			
मुख्यमंत्री व (मुख्यमंत्री द्वा		सचिव / सचिव	सदस्य	
बोर्ड के प्रबंध	निदेशक		सदस्य सचिव	
संबंधित प्रशासनिक विभाग (विभागों) के विशेष आमंत्री प्रशासनिक सचिव				
बोर्ड और / या कार्यकारणी समिति द्वारा विशेष आमंत्री वांछित कोई अन्य व्यक्ति (7) कार्यकारिणी समिति बोर्ड और उसकी परियोजनाओं				
के दिन-प्रतिदिन के प्रबंधन की देखरेख करेगी।				

- (8) कार्यकारिणी सिमति की सभापति और सदस्यों सिहत न्यूनतम एक—तिहाई का होगा।
- (9) उपरोक्त के अलावा, बोर्ड समय-समय पर विभिन्न समितियां यथा क्षेत्रीय उप-समितियों और परियोजना कार्यान्वयन उप-समितियों को धारा 7 के संदर्भ में नियुक्त कर सकता है, जो इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक मानी जा सकती हैं।
- (10) बोर्ड / कार्यकारिणी समिति ऐसे समय, स्थान और आवृत्ति पर बैठक करेगा और बैठकों में अपने व्यवसाय को चलाने के लिए ऐसी क्रियाविधि का पालन करेगा जैसा कि उपविधियों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

प्रमाणित पति

लोक सूचना अधिकारी विभ्रान सभा अधिकारा उत्तराखण्ड रिक्तियों से बोर्ड की 5 कार्यवाहियों को अमान्य नहीं किया जाएगा

बोर्ड के प्रकार्य एवं 6 शक्तियां

अविधिमान्य नहीं होगी:

निम्नलिखित के कारण बोर्ड का कोई भी कार्य या कार्यवाही

- (1) बोर्ड में कोई रिक्ति, या बोर्ड के गठन में कोई दोष; अथवा
- (2) बोर्ड के सभापति, या सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई दोष:
 - (1) बोर्ड राज्य में आधारिक संरचना के क्षेत्रकों और परियोजनाओं में पी0पी0पी0 (PPP) के प्रचार और विकास के लिए और निजी क्षेत्रकों के निवेश के प्रचार और विकास के लिए शीर्ष निकाय होगा।
 - (2) बोर्ड निम्नलिखित कार्य करेगा: -
 - (क) पी0पी0पी0 (PPP) /निजी सहभागिता और राज्य के बजट द्वारा प्रदान किए गए स्रोतों के अलावा अन्य स्रोतों से वित्त पोषण सहित आधारिक संरचना परियोजनाओं के विकास के संबंध में राज्य सरकार के सभी प्रयासों के समन्वय के लिए एक नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करेगा और निम्नलिखित कार्य करेगाः
 - निजी सहभागिता के लिए पहले से पहचानी गई और/या प्रत्यायोजित परियोजनाओं (निजी सहभागिता और अन्य क्षेत्रकों) और नई अवधारणाओं की पहचान/ उत्पत्ति / मूल्यांकन
 - ii. पहचान की गई परियोजनाओं के लिए, आंतरिक रूप से या बाहरी सलाहकार (ओं) की मदद से पूरी प्रक्रिया का प्रबंधन और निष्पादन करना, परियोजना बनाने, व्यवहार्यता का अमिनिश्चयन, किसी भी व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण सहित लेनदेन संरचना का निर्धारण, वी0जी0एफ0 (VGF), राज्य सरकार के प्रासंगिक प्रशासनिक विभाग को जहां भी आवश्यक हो, सलाह, निविष्टियां और अनुमोदन के लिए संलग्न करना, सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए परियोजना का विपणन करना, निजी निवेशकों को आकर्षित करना, परियोजना निष्पादन की निगरानी करना

प्रमाणित प्रति

आदि।;

- iii. आधारिक संरचना क्षेत्रकों में गत्यवरोधों की पहचान करना और इसे सुधारने के लिए राज्य सरकार, नीति और परियोजना पहलों की सिफारिश करना;
- iv. आधारिक संरचना में पी०पी०पी० परियोजनाओं का चयन, प्राथमिकता और अनुक्रमण निर्धारण करना:
- पर्वोत्तम सार्वजनिक नीति सिद्धांतों का अनूवर्तन सुनिश्चित करते हुए परियोजनाओं के विकास के दौरान पी०पी०पी० के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मकता और निजी सहभागिता को बढ़ावा देना;
- vi. आधारिक संरचना क्षेत्रकों में पी०पी०पी०
 (PPP) से संबंधित स्पष्ट और पारदर्शी नीतियों
 को तैयार करना (और तैयार करने में अन्य
 विभागों की मदद करना) तािक यह सुनिश्चित
 किया जा सके कि परियोजना जोिखमों की
 स्पष्ट रूप से पहचान की जा सके और
 हितधारकों के बीच आवंटन किया जा सके।;
- vii. राज्य सरकार की भूमि परिसम्पत्तियों के सर्वोत्तम अंतिम उपयोग की पहचान करना; तथा
- viii. राज्य सरकार की परिसम्पत्तियों (भूमि सहित) के विनिवेश / मुद्रीकरण / पुनर्विकास में राज्य सरकार की सहायता करना।
- (ख) आंतरिक रूप से या इस उद्देश्य के लिए लगे बाहरी परामर्शदाताओं या सेवा प्रदाताओं के माध्यम से, पी०पी०पी० और निवेश परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न संविदात्मक व्यवस्थाओं और प्रोत्साहनों सहित बोली या निविदा दस्तावेजों, मसीदा अनुबंधों सहित सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार करना।;
- (ग) उत्तराखण्ड निवेश और आधारिक संरचना विकास निधि ("निधि" या "UIIDF"), जैसा कि धारा 11 में वर्णित है, के रूप में जाना जाने वाला एक निधि बनाना, जो कि बोर्ड में निहित होगा।;

प्रमाणित प्रति े लोक सूचना अधिकारी विधान सभा संदिवासस उत्तराखण्ड

- (घ) निधि का प्रबंधन और प्रशासन करना;
- (ड) पी०पी०पी० और निवेश परियोजनाओं के लिए वैधानिक और अन्य अनुमोदन प्राप्त करने में रियायतग्राहियों और अन्य विभागों की सहायता करना (और सहायता प्राप्त करना);
- (च) इस अधिनियम के प्रावधानों तथा इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार रियायतग्राहियों को रियायतें देने की सिफारिश करना;
- (छ) राज्य सरकार और अन्य विभागों/सरकारी अभिकरणों के निवेश के स्तर और संरचना को निर्धारित करने में सहायता करना/निजी सहभागिता के साथ आधारिक संरचना परियोजनाओं में समानक/स्वेट समानक निवेश आदि को धारण करना शामिल है;
- (ज) निवेश और आधारिक संरचना प्रोत्साहन से संबंधित प्रमुख नीतिगत मामलों पर राज्य सरकार के विशेषज्ञ दल/सलाहकार के रूप में कार्य करना;
- (झ) राज्य सरकार या अन्य सरकारी विभागों के साथ समन्वय में धारा 33 के संदर्भ में आधारिक संरचना परियोजनाओं / परियोजनाओं को लागू करने के लिए विशेष प्रयोजन साधन बनाना;
- (ञ) निर्दिष्ट क्षेत्रों में राज्य सरकार के लिए निवेश संवर्धन गतिविधियों का आयोजन करना; तथा राज्य में निजी निवेश और सार्वजनिक निजी सहभागिता (पी०पी०पी०) परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक संरचना और कान्नी ढांचे की निगरानी करना;
- (3) इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप अपने कार्यों को पूरा करने के लिए, बोर्ड के पास निम्नेलिखित में से सभी या कोई भी कार्य करने की शक्ति होगी, अर्थात्:
- (क) चल और अचल दोनों तरह की भूमि और संपत्ति का अधिग्रहण, धारण, विकास या निर्माण, जैसा कि बोर्ड आधारिक संरचना निजी निवेश परियोजनाओं में पी०पी०पी० परियोजनाओं के विकास से संबंधित अपनी किसी भी गतिविधि के प्रदर्शन के लिए आवश्यक समझ सकता है;

प्रमाणित प्रति लोक सूचना अधिकार विधान सभा संध्यानक उत्तरस्थान

- (ख) भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 और भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 जो भी प्रासंगिक हो, के तहत राज्य सरकार को अपनी गतिविधियों में से किसी के प्रदर्शन के लिए भूमि अधिग्रहण की सलाह या सिफारिश करना;
- (ग) रियायतग्राही को धारा 6 (3) (क) में संदर्भित संपत्ति का पट्टा, विनिमय, या अन्यथा आवंटन करना और आवंटन को संशोधित करना या निरस्त करना, जिसमें ऐसे आवंटन के किसी भी नियम या शर्तों के उल्लंघन पर संबंधित आबंटियों को बेदखल करने का अधिकार और शक्ति शामिल है;
- (घ) ऐसी रीति से उधार लें और इस तरह से धन जुटाएं जैसा कि बोर्ड उचित समझे और उधार लिए गए या जुटाए गए किसी भी धन को चुकाएं;
- (ड) एक या अधिक क्षेत्रीय उप—समिति(यों) या परियोजना कार्यान्वयन उप—समिति(यों) का गठन करना;
- (च) उपयुक्त सेवा प्रदाताओं या सलाहकारों या परामर्शदाताओं को अपने प्रकार्यों के कुशल निर्वहन के लिए बोर्ड को सलाह देने के लिए नियुक्त करना।
- (छ) ऐसे सभी अनुबंधों में प्रवेश करना और उनका पालन करना जिन्हें वह अपने किसी भी प्रकार्य को करने के लिए आवश्यक या समीचीन समझे; और
- (ज) . ऐसी अन्य चीजें करना और ऐसे अन्य कार्य करना जिन्हें वह अपने प्रकार्यों के उचित आचरण के लिए और इस अधिनियम के उद्देश्यों को लागू करने के लिए आवश्यक या समीचीन समझे।
- (4) बोर्ड और / या बोर्ड द्वारा सुगम परियोजनाओं को उत्तरखंड सार्वजनिक निजी भागीदारी नीति 2019 (या भविष्य में किसी भी परिशोधन या संशोधन) के तहत कवर (cover) नहीं किया जाएगा और न ही उन्हें सार्वजनिक निवेश बोर्ड (PIB) के नियमों / क्रियाविधियों के तहत कवर (cover) किया जाएगा।

प्रमाणित पति

लोक सूज्ञमा अधिकारी विधान सभा संदिणालय उत्तराखण्ड क्षेत्रीय उप-समिति और 7 परियोजना कार्यान्वयन उप-समिति

- (1) बोर्ड समय-समय पर क्षेत्रीय उप-समिति (यों) या परियोजना कार्यान्वयन उप-समिति (यों) का गठन कर सकता है ताकि बोर्ड को अपने प्रकार्यों को पूरा करने में सहायता मिल सके, जैसा कि अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझा जा सकता है।
- (2) बोर्ड के निर्णय लेने में अन्य सरकारी विभागों के प्रभावी सहयोग, परामर्श और सहभागिता के लिए, क्षेत्रीय उप—समिति या परियोजना कार्यान्वयन उप—समिति में संबंधित सरकारी विभागों और / या संबंधित सरकारी अभिकरणों के प्रतिनिधियों, सेवा प्रदाता, परामर्शदाता तथा सलाहकार शामिल होंगे।
- (3) क्षेत्रीय उप—सिमित या परियोजना कार्यान्वयन उप—सिमिति का गठन, कार्य पद्धित और शक्तियां बोर्ड द्वारा बनाए गए उपविधियों के अनुसार होंगी ।
- (4) क्षेत्रीय उप—समिति(ओं), परियोजना कार्यान्वयन समिति(ओं) या किसी ओर नाम से बुलाई जाने वाली अन्य समिति(ओं) को जो इस अधिनियम के तहत बोर्ड / कार्यकारणी समिति द्वारा गठित की जाती है, और बोर्ड और / या कार्यकारणी समिति द्वारा उन्हें साँपे गए प्रकार्यों को पूरा करेगी ।
- (5) प्रत्येक क्षेत्रीय उप—समिति विशेष रूप से संबंधित होगी:
- (क) निजी सहभागिता के लिए क्षेत्रीय नीतियों का निरूपण, समीक्षा, परिवर्तन और कार्यान्वयन
- (ख) संभाव्यता अध्ययन का आचरण और संभाव्यता रिपोर्ट की विरचना; और
- (ग) वित्तीय प्रोत्साहन और रियायतों के क्षेत्रीय पैकेज तैयार करना ।
- (6) प्रत्येक परियोजना कार्यान्वयन उप—समिति विशेष रूप से संबंधित होगी:
- (क) परियोजना अभिनिर्धारण और प्राथमिकता पर निर्णय लेने के लिए बोर्ड या किसी अन्य समिति को प्रस्ताव प्रदान करना जो बोर्ड द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट किया जा सकता है:
- (ख) परियोजनाओं के परिधि और संरचना को अंतिम रूप देना;
- (ग) पूर्व-बोली और बोली क्रियाविधियों को अंतिम रूप देना;

प्रमाणित प्रति े लोक सूचना अधिकार्र निधान सभा सिद्यालय उत्तराखण्ड

(घ) रियायतग्राही के चयन को अंतिम रूप देना और रियायत प्रदान करने की सिफारिश करना; और (ड) परियोजनाओं का कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण और निगरानी।

बोर्ड का वित्त, लेखा और 8 लेखा परीक्षा

- (1) आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बोर्ड की वार्षिक आय और व्यय का अनुमान, बोर्ड के सदस्य सचिव द्वारा नियमों के अनुसार तैयार किया जाएगा, और इसके अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत किया जाएगा।
- (2) बोर्ड के उपयित आय और व्यय का वार्षिक विवरण सदस्य सचिव द्वारा तैयार किया जाएगा और बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, संबंधित वित्तीय वर्ष के बंद होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर सूचना के लिए राज्य सरकार को भेजा जाएगा ।
- (3) उघार और निवेश सहित श्रेणी निधि की अभिरक्षा , आवेदन और प्रचालन बोर्ड द्वारा उप—विधि के अनुसार किया जाएगा ।
- (4) बोर्ड के खातों की लेखापरीक्षा उत्तराखण्ड सरकार के नियमों एवं प्राविधियों के अनुसार की जाएगी।
- (1) बोर्ड के दिन—प्रतिदिन के कार्य पद्धति में बोर्ड का नेतृत्व करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक प्रबंध निदेशक होगा।
- (2) बोर्ड, राज्य सरकार के अनुमोदन से, ऐसे अन्य पदों का सृजन कर सकता है और उन पर ऐसे अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को नियुक्त कर सकता है, जिन्हें वह अपने प्रकार्यों के कुशल निर्वहन के लिए आवश्यक समझे।
- (3) बोर्ड राज्य सरकार के अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों को ले सकता है।
- (4) उप धारा (1) और (2) में निर्दिष्ट अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्ते और उनके प्रकार्य और कर्तव्य ऐसे होंगे, जो उपविधियों में निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।
- (5) प्रबंध निदेशक बोर्ड के सभी अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों पर पर्यवेक्षण की शक्तियों का प्रयोग करेगा।
- (6) सक्षम प्राधिकारी द्वारा मंजूर किए जाने के बाद किसी संविदा पर बोर्ड की ओर से प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षर

बोर्ड के अधिकारी एवं 9 कर्मचारी



किए जाएंगे परन्तु कि जहां किसी संविदा या संविदा के वर्ग का संस्वीकृति प्राधिकारी प्रबंध निदेशक हो वहां ऐसे संविदा पर बोर्ड की ओर से स्वयं प्रबंध निदेशक या इस निमित्त उसके द्वारा विधिवत प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जा सकते हैं।

बोर्ड की उपविधि बनाने की 10 शक्तियाँ

- (1) बोर्ड, इस अधिनियम के तहत अपने प्रकार्यों के उचित क्रियान्वयन के लिए उपविधि बना सकता है।
- (2) विशेष रूप से और पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी उपविधि निम्नलिखित मामलों के लिए प्रदान की जा सकती है, अर्थात्:
 - (क) धारा 7 के उप-धारा (1) और (3) के तहत क्षेत्रीय उप-समिति, परियोजना कार्यान्वयन उप-समिति (ओं) का गठन, कार्य पद्धति और शक्तियाँ;
 - (ख) धारा ८ के उप—धारा (3) के तहत उधार और निवेश सहित यू०आई०आई०डी०एफ० (UIIDF) की अभिरक्षा, आवेदन और संचालन;
 - (ग) धारा 9 के तहत प्रबंध निदेशक, बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों के कर्तव्य और उनकी सेवा शर्ते;
 - (घ) बोर्ड और कार्यकारिणी समिति की बैठकों का आयोजन, समय और रथान जहां ऐसी बैठकें आयोजित की जाएंगी, धारा 4 के उप—धारा (9) के तहत क्रियाकलाप के लेन—देन में अपनाई जाने वाली क्रियाविधि; और
 - (ड) कोई अन्य मामले जिसके संबंध में उपविधि बनाना आवश्यक है या बनायी जा सकती है।

प्रमाणित पति

लोक सूचना अधिकारी विधान सभा सविवाहाय उत्तरखण्ड

अध्याय-4

उत्तराखण्ड निवेश और आधारिक संरचना विकास निधि (UIIDF) और आधारभूत निधि, शुल्क का उदग्रहण, संवितरण, आदि।

निधि का गठन

11

- (1) राज्य सरकार रू 100 करोड़ की प्रारंभिक आधारभूत निधि के साथ एक निधि का गठन करेगी, जिसे उत्तराखण्ड निवेश और आधारिक संरचना विकास निधि ("निधि" या "विकास निधि") के रूप में जाना जाएगा, जो बोर्ड में निहित होगा।
- (2) इस अधिनियम के तहत लगाई गई और एकत्र की गई राशि/शुल्क को निधि में जमा किया जाएगा। केंद्र / राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरणों और यू०आई०आई०डी०बी० (UIIDB) के किसी भी प्राधिकरण से कोई अन्य अनुदान भी निधि में जमा किया जाएगा।
- (1) इस अधिनियम के लागू होने और निधि के गठन की तिथि से, और इस अध्याय के प्रावधानों के अधीन, यू०आई०आई०डी०बी० (UIIDB) अनुसूची III में उल्लिखित शुल्क लगाएगा और इस शुल्क को यू०आई०आई०डी०एफ० (UIIDF) में प्राप्त करेगा।
- (2) इस अधिनियम के तहत यू०आई०आई०डी०एफ० (UIIDF) / यू०आई०आई०डी०बी० (UIIDB) को देय शुल्क, संबंधित प्रशासनिक विभाग / अभिकरण द्वारा आय / शुल्क एकत्र करके एकत्र किया जाएगा और संबंधित प्रशासनिक विभाग / अभिकरण द्वारा इसके संग्रह की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर निधि में जमा किया जाएगा।
- (3) यू०आई०आई०डी०बी० (UIIDB) द्वारा लगाए गए शुल्क में आय/शुल्क पर लगाया गया कोई भी अर्थदंड शामिल होगा, जैसे कि आय/शुल्क सीधे यू०आई०आई०डी०बी० (UIIDB) को देय है।
- (4) बोर्ड द्वारा उद्गृहीत शुल्क के अतिरिक्त, निधि में समय-समय पर राज्य मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदित अन्य आय स्रोत हो सकते हैं और, यथास्थिति, अनुसूची तीन या इस धारा 12 में जोड़े जा सकते हैं;
- (5) यू०आई०आई०डी०बी० (UIIDB) के स्वामित्व वाली परिसंपत्तियों के मामले में, ऐसी परिसंपत्तियों के विकास या मुद्रीकरण सहित ऐसी परिसंपत्तियों से सभी आय निधि में

निधि के स्रोत

12

प्रमाणित पति लोक सूवना अधिकारी विधान सभा सर्विपालधा उत्तराखण्ड

विकास निधि उपयोगिता 13 और वितरण जमा की जाएगी।

- (6) यू०आई०आई०डी०एफ० (UIIDF) में रोकड़ प्रबंधन संचालन से सभी आगम को निधि में जमा किया जाएगा।
- (1) विकास निधि का उपयोग निम्नलिखित गतिविधियों के लिए किया जाएगा:
 - (क) बोर्ड द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं के लिए समानक, व्यवहार्यता अंतर निधीकरण सहायता प्रदान करना;
 - (ख) बोर्ड द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं को रियायती ऋण प्रदान करना;
 - (ग) समय—समय पर पहचान की गई प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के विकास के लिए परिसंपत्तियाँ/भूमि खरीदना;
 - (घ) इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत बोर्ड द्वारा सुविधा प्रदान की गई परियोजनाओं को आगे बढ़ाने और अपने प्रकार्यों को पूरा करने के लिए यू०आई०आई०डी०बी० (UIIDB) के लिए परियोजना विकास लागत जैसे परामर्शदाता / सलाहकारों और अन्य विशेषज्ञों की लागत, संपार्श्विक, प्रचार गतिविधियों का निर्माण आदि के लिए;
 - (ड) बोर्ड के सभी परिचालन व्ययों के लिए, जिसमें भुगतान वेतन, आपूर्ति व्यय आदि शामिल हैं, लेकिन इन तक ही सीमित नहीं है:

परन्तु यह कि बोर्ड के गठन के पहले तीन वर्षों में कर्मचारियों के वेतन, कार्यालय और आपूर्ति आदि सिहत बोर्ड की गैर—परियोजना संबंधी प्रशासनिक लागत 10 करोड़ रुपये (अध्यादेश की अधिसूचना की तारीख से उपभोक्ता भाव सूचकांक, (CPI) के अनुसार प्रत्येक वर्ष समायोजन) से अधिक नहीं होनी चाहिए और बाद में 3 वर्ष पश्चात 10 करोड़ रुपये (अध्यादेश की अधिसूचना की तारीख से उपभोक्ता भाव सूचकांक, (CPI) के अनुसार प्रत्येक वर्ष समायोजन) या एक वर्ष में बोर्ड की आय का 50%, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होनी चाहिए।

प्रमाणित पति लोक सूर्वना अधिकारी विधान सभा सविद्यालय उत्तराखण्ड

- (च) बोर्ड द्वारा अनुमोदित ई०पी०सी० (EPC) पर आधारिक संरचना परियोजनाएं शुरू करना; और (छ) धारा 6 में उल्लिखित और समय—समय पर राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित के अनुसार कोई अन्य / अतिरिक्त गतिविधियां करना।
- (2) यू०आई०आई०डी०एफ० (UIIDF), राज्य मंत्रिमण्डल के निर्देश पर, राज्य सरकार को लाभांश वितरित करेगा यदि फण्ड का कार्पस (500) (पांच सौ) करोड़ से अधिक है। जो किसी विशेष वर्ष में लाभांश (रेपो दर+4%) गुणा (रूपये 500 करोड़ से अधिक निधि के कोष) के बराबर होगा।
- (3) इसके अलावा, यदि विकास निधि पिछले वित्तीय वर्ष में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के 0.5% से अधिक के मूल्य तक पहुंच जाता है, तो निधि अतिरिक्त राशि (पिछले वित्तीय वर्ष में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के 0.5% से अधिक) को राज्य सरकार को हस्तांतरित करेगी।

अध्याय-5

उत्तराखण्ड निवेश और अवसंरचना नियामक प्राधिकरण (UIIRA)

प्राधिकरण की स्थापना 14

- (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उद्देश्य के लिए उत्तराखण्ड निवेश और आधारिक संरचना नियामक प्राधिकरण ("UIIRA" या "प्राधिकरण") एक प्राधिकरण स्थापित कर सकेगी।
- (2) प्राधिकरण एक ऐसा निकाय होगा जिसे यू०आई०आई०आर०ए० (UHRA) के नाम से जाना जायेगा, जिसका स्थायी उत्तराधिकार है तथा इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुमान शक्ति के साथ एक सामान्य मुहर का प्रावधान होगा।
- (3) प्राधिकरण का प्रधान कार्यालय देहरादून या ऐसे स्थान पर होगा, जिसे राज्य सरकार समय—समय पर अधिसूचित करे।
- (4) प्राधिकरण के गठन से पहले, इस अधिनियम के अनुसार प्राधिकरण को भेजे जाने वाले किसी भी विवाद या अपील को स्वतंत्र विशेषज्ञों की सुलह समिति (CCIE), उत्तराखंड को भेजा जाएगा। जो अधिनियम में विहित रीति से उस अवधि के दौरान प्राधिकरण के सभी कार्यों का निर्वहन करेगा।

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी विधान सभा सिद्धाहाध उत्तराखण

- (1) प्राधिकरण में एक सभापति और दो अन्य सदस्य शामिल होंगे।
- (2) सभापति उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा ।
- (3) सदस्यों के पास इस उप-धारा (5) में निर्दिष्ट अर्हताएं होंगी।
- (4) प्राधिकरण का चयन राज्य पत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार के द्वारा किया जायेगा।
- (5) उपरोक्त उप—धारा (1) के तहत नियुक्त सदस्यों को अवसंरचना क्षेत्रों या अवसंरचना परियोजनाओं, कानून, वित्त, अर्थशास्त्र या वाणिज्य के प्रबंधन के क्षेत्र में निम्नलिखित योग्यताएं और अनुभव होंगे:
 - (क) सदस्य (अवसंरचना) अवसंरचना के क्षेत्र में अर्हता और अनुभव: प्रासंगिक व्यावसायिक अर्हता प्राप्त करने के पश्चात 20 साल का न्यूनतम कार्य अनुभव किसी सरकारी विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन या एक निजी क्षेत्र के संगठन जिनका अवसंरचना परियोजनाओं की अवधारणा, मूल्यांकन, विकास, वित्तपोषण या कार्यान्वयन का वाार्षिक कारोबार पांच सौ करोड़ रुपये या उससे अधिक का हो;

(ख) सदस्य (वित्त) - वित्त, अर्थशास्त्र या वाणिज्य के क्षेत्र में अर्हता और अनुभव:

- अर्डता : इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की सदस्यता या अर्थशास्त्र, वाणिज्य, प्रबंधन या अभियांत्रिकी में स्नातकोत्तर ।
- ii. अनुभव : किसी सरकारी विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन में या पांच सौ करोड़ रुपये या उससे अधिक के वार्षिक कारोबार वाले निजी क्षेत्र के संगठन में उक्त अर्हता प्राप्त करने के बाद काम करने का बीस वर्ष का अनुभव; या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा

प्रमाणिल पति

लोक सूचना अधिकारी विद्यान सभा सदिवासय उत्तराखण्ड

मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में बीस वर्ष का शिक्षण अनुभव ।

(6) प्राधिकरण में किसी व्यक्ति को सभापति या सदस्य के रूप में नियुक्त करने से पहले, राज्य सरकार स्वयं का समाधान करेगी कि उस व्यक्ति का कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं है, जो प्राधिकरण के सभापति या सदस्य के रूप में उसके क्रियाकलापों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

(1) प्राधिकरण निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्: -

- (क) बोर्ड द्वारा प्रदान की गई रियायतों की अवधि के दौरान प्रशुल्क को रियायत प्रदान करने के दौरान अप्रत्याशित कारणों के लिए और बोर्ड और रियायतग्राही के बीच आपसी सहमति के आधार पर संशोधित या परिवर्तित करना;
- (ख) किसी परियोजना के अनुमोदन या रियायत से संबंधित बोर्ड या राज्य सरकार द्वारा पारित आदेश के खिलाफ इसे संवर्भित अपील पर निर्णय लेना; एवं (ग) रियायतग्राहीयों / विकासकर्ताओं / परियोजनाओं के संचालकों और राज्य सरकार और / या इसके विभागों और / या बोर्ड के बीच विवादों पर निर्णय लेना:

प्राधिकरण को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त करने का अधिकार

प्राधिकरण के कार्य

16

17

- (1) प्राधिकरण, उसके समक्ष सभी कार्यवाहियों के संचालन में और इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग में, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होगा ।
- (2) प्राधिकरण पी०पी०पी० / निजी निवेश परियोजनाओं (निजी खिलाड़ी), टेकेदार(ओं), सरकारी संस्थाओं /एस०पी०वी० / विभागों / अभिकरणों / बोर्ड /पी०एस०यू० / निगम / समाज आदि में शामिल किसी भी दो पक्षों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों पर निर्णय ले सकता है।
- (3) प्राधिकरण के पास वहीं शक्तियां होंगी जो निम्नलिखित के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत किसी दीवानी न्यायालय में निहित हैं:
- (क) किसी भी व्यक्ति की उपस्थित होने के लिए बुलाना और बाध्य करना और शपथ पर उसका परीक्षण करना;
- (ख) दस्तावेजों की खोज और प्रस्तुतिकरण की अपेक्षा;

प्रमाणित प्रति 2 लोक सूचना अधिकाठी विधान सभा संविद्यालय उत्तराखण्ड

19

- (ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;
- (घ) गवाहों या दस्तावेजों के परीक्षण के लिए आयोग गठित करना;
- (ड) निर्णयों की समीक्षा करना;
- (च) डिफ़ॉल्ट के लिए किसी आवेदन को खारिज करना या उस पर एकपक्षीय निर्णय देना, बर्खास्तगी के किसी आदेश या डिफ़ॉल्ट के लिए किसी भी आवेदन को अलग करना या उसके द्वारा पारित किसी भी आदेश को एकपक्षीय रूप से निर्धारित करना; एवं
- (छ) कोई अन्य मामले जैसा कि प्राधिकरण विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

प्राधिकरण के समक्ष कार्यवाही को 18 न्यायिक कार्यवाही माना जाएगा

- (1) प्राधिकरण के समक्ष सभी कार्यवाहियों को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 193, 219 और 228 के अर्थ के अधीन न्यायिक कार्यवाही माना जाएगा, और प्राधिकरण को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 195 और अध्याय XXVI के प्रयोजनों के लिए एक 'दीवानी न्यायालय' माना जाएगा।
- (2) प्राधिकरण के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही उसके प्रारंभ होने के नब्बे दिनों की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी, सिवाय इसके कि जहां प्राधिकरण द्वारा लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए समय—अवधि बढ़ाई जाती है।
- (1) प्राधिकरण इसं अधिनियम के तहत अपने कार्यों को उचित ढंग से करने के लिए विनियम बना सकता है।
- (2) विशेष रूप से और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता और इस अधिनियम में विशेष रूप से प्रदान किए गए मामलों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए बनाये जा सकते हैं, मुख्यता:
 - (क) धारा 23 के तहत बैठकों की कार्यप्रणाली करने की क्रियाविधि निर्दिष्ट करना ।
 - (ख) धारा 25 के तहत प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तों का निर्धारण; तथा (ग) धारा 26 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन प्राधिकारी द्वारा प्राप्त रकम का निर्धारण करना ।

विनियम बनाने के लिए प्राधिकरण 19 की शक्तियां

> प्रमाणित प्रति लोक सूचना अधिकारी विधान सभा संविद्यालय उत्तरस्वपड

सभापति और अन्य सदस्यों की 21 पदावधि और सेवा की शर्तें

कतिपय परिस्थितियों जिनमें 22 सभापति और सदस्य को पद से हटाना और निलंबित करना प्रमाणित प्रति

> लोक सूचना अधिकारी विधान सभा सदिवासय 21 उसराखण्ड

सभापित के पास प्राधिकरण के मृामलों के संचालन में सामान्य अधीक्षण एवं निदेशन की शक्तियां होंगी। सभापित प्राधिकरण की बैठकों की अध्यक्षता करेगा और साथ ही विनियमों के अनुसार उसमें निहित प्राधिकरण की शक्तियों और प्रकार्यों का प्रयोग और निर्वहन करेगा।

- (1) सभापति नियुक्ति की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए या जब तक वह सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता, जो भी पहले हो तक पद धारण करेगा।
- (2) एक सदस्य नियुक्ति की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए या जिस तारीख को वह अड़सठ साल की आयु प्राप्त करता है, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा।
- (3) यदि कोई पद धारण करने वाला व्यक्ति अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है, जैसा भी मामला हो, उसे प्राधिकरण में शामिल होने से पहले उस पद से इस्तीफा देना होगा।
- (4) समापित और अन्य सदस्यों को संदेय वेतन और मत्ते और अन्य नियम और शर्ते ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं और उनके कार्यकाल के दौरान किये जाने वाले परिवर्तन से उन्हें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा।
- (5) धारा (1), (2) और (3) में किसी प्रावधान के होते हुए भी, यथास्थिति, सभापति या सदस्य निम्नलिखित कार्य कर सकेगाः
 - (क) राज्य सरकार को कम से कम तीन कैलेंडर मास की लिखित सूचना देकर अपने कार्यालय में त्याग पत्र दें; अथवा
 - (ख) धारा 22 के प्रावधानों के अनुसार उनके कार्यालय से हटा दिया जाएगा ।
 - (1) राज्य सरकार उपधारा (2) के प्रावधानों का पालन करने के बाद सभापति या किसी सदस्य को पद से हटा सकती है, यदि उसे:
 - (क) दिवालिया घोषित कर दिया गया है; अथवा
 - (ख) उसे ऐसे अपराध का दोषी ठहराया गया है,

जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता शामिल है; अथवा

- (ग) यदि वह शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गया है; अथवा
- (घ) यदि उसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित प्राप्त कर लिया है जिससे उक्त क्षमताओं में से किसी में भी उसके कृत्यों को प्रतिकूल ढगं से प्रभावित करने की संभावना है; अथवा
- (ड) यदि उसने अपने पद का इतना दुरुपयोग किया हो कि कार्यालय में उसकी निरन्तरता लोक हित में प्रतिकृल हो
- (2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, सभापति या सदस्य को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि:
 - (क) राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को एक संदर्भ दिया जाता है, जिसमें सभापति या सदस्य को हटाने और इस तरह के प्रस्ताव का समर्थन करने वाले सामग्री के आधार के साथ प्रस्तावित हटाने पर जांच और सिफारिश की मांग की जाती है;
 - (ख) संदर्भ की विधिवत जांच उच्च न्यायालय के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति की अध्यक्षता में एक जांच समिति द्वारा की जाती है; अथवा
 - (ग) जांच समिति सिफारिश करती है कि सभापति या सदस्य को ऐसे आधार या आधारों पर हटाया जाना चाहिए ।
- (3) राज्य सरकार सभापति या प्राधिकरण के किसी सदस्य को निलंबित कर सकती है, जिसके संबंध में उपधारा (2) के तहत मुख्य न्यायाधीश को संदर्भ दिया गया है, जब तक कि मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त जांच समिति द्वारा कोई सिफारिश नहीं की जाती है।
- (1) प्राधिकरण ऐसे समय और स्थानों पर बैठक

प्रमाणित प्रति लोक सूचना अधिकारी विश्वान सभा सिंद्यालय उत्तरसम्बन्ध

बैठकें

प्राधिकरण की कार्यवाही को ²⁴ अमान्य नहीं करने के लिए रिक्तियां

प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य 25 कर्मचारी

वित्त, लेखा और लेखा परीक्षा 26

प्रमाणित पति लोक सूवना अधिकारी विधान सभा सर्विपालय उत्तराखण्ड करेगा और बैठकों की कार्यवाही चलाने के लिए ऐसी क्रियाविधि का पालन करेगा, जैसा कि विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये।

- (2) सभापति या, यदि किसी कारण से वह प्राधिकरण की बैठक में भाग लेने में असमर्थ है, तो बैठक में आपस में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया कोई अन्य सदस्य, बैठक की अध्यक्षता करेगा
- (3) किसी भी बैठक से पहले आने वाले सभी प्रश्न, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से तय किए जाएंगे, और मत की समानता की स्थिति में, अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का द्वितीय या निर्णायक मत होगा।

प्राधिकरण का कोई भी कार्य या कार्यवाही केवल निम्नलिखित कारणों से अमान्य नहीं होगी:-

- (1) प्राधिकरण के गठन में कोई रिक्ति या कोई दोष; अथवा
- (2) प्राधिकरण के सदस्य के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति की नियुक्ति में कोई दोष;
- (1) इस अधिनियम के तहत प्राधिकरण अधिकारियों और ऐसे अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है, जो कार्यों के कुशल निर्वहन के लिए आवश्यक हो।
- (2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त, प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते और सेवा की अन्य शर्ते ऐसी होंगी जो विनियमों द्वारा निर्धाति किए जायेगें।
- (1) राज्य सरकार द्वारा प्राधिकरण स्थापित होने के पश्चात्, प्राधिकरण किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, या बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत बैंक में खाता खोलेगा। खाते में निम्नलिखित जमा किया जा सकता है,
 - (क) राज्य सरकार से प्राप्त अंशदान
 - (ख) प्राधिकरण द्वारा प्राप्त अनुदान; और
 - (ग) प्राधिकरण के समक्ष कार्यवाही के लिए विनियमों के तहत प्राधिकरण द्वारा

निर्धारित फीस सहित किसी भी स्रोत से प्राधिकरण द्वारा प्राप्त कोई अन्य राशि।

- (2) खाता प्राधिकरण में निहित और प्रशासित किया जाएगा, जो इस अधिनियम द्वारा अधिकृत उद्देश्यों के लिए किए गए वेतन, मत्ते और प्रशासिनक व्ययों सहित प्राधिकरण के विभिन्न व्ययों को पूरा करने के लिए लागू होगा।
- (3) प्राधिकरण अपनी पुस्तकों और खातों का रखरखाव करेगा, और इसके वार्षिक खातों को महालेखाकार, उत्तराखण्ड के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपन्न में तैयार करेगा ।
- (4) प्राधिकरण के वार्षिक खातों का लेखापरीक्षा महालेखाकार, उत्तराखण्ड द्वारा की जाएगी और इस तरह के लेखापरीक्षा के संबंध में किए गए किसी भी व्यय का भुगतान प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा।
- (5) महालेखाकार, उत्तराखण्ड और उसके द्वारा प्राधिकार के लेखाओं की लेखापरीक्षा के संबंध में नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति को वही अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे जो महालेखाकार, उत्तराखण्ड को राज्य सरकार के लेखाओं की लेखापरीक्षा के संबंध में और विशेष रूप से, निरीक्षण के लिए संबंधित पुस्तकों, लेखाओं, सहायक वाउचरों और प्राधिकरण के अन्य दस्तावेजों और कागजात के प्रस्तुतीकरण की मांग करने के अधिकार हैं।
- (6) महालेखाकार, उत्तराखण्ड या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित प्राधिकारी के लेखाओं को उसके संबंध में लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ प्रतिवर्ष राज्य सरकार को अग्रेषित किया जाएगा, जिससे उसे राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जा सके।
- (1) प्राधिकरण प्रत्येक वर्ष एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें पूर्ववर्ष के दौरान किए गए अपने गतिविधियों का सारांश ऐसे रूप में और ऐसे स्थान पर, जो विहित किया जाए और रिपोर्ट की प्रतियां

विधान सभा को विवरणियां प्रस्तुत 27 करना

प्रमाणित प्रति लोक सूचना अधिकारी विधान सभा संचिवालय

राज्य सरकार को उन्हें विधान सभा के समक्ष रखने के लिए अग्रेषित करेगा।

(2) प्राधिकरण राज्य विधान सभा को ऐसे समय और ऐसे रूप और रीति में, जो राज्य विधान सभा द्वारा विहित या अपेक्षित हो, आधारिक संरचना क्षेत्रक के संवर्धन और विकास के लिए किसी प्रस्तावित या विद्यमान कार्यक्रम के संबंध में विवरणी, विवरण और ब्यौरे प्रस्तुत करेगा।

अध्याय-6

परियोजना अभिनिर्धारण और रियायतग्राही चयन

परियोजना अभिनिर्धारण और 28 प्राथमिकता

- (1) बोर्ड, पी०पी०पी० और अन्य निवेश परियोजनाओं की अमिनिर्धारण और प्राथमिकता में राज्य सरकार के सभी प्रयासों के समन्वय के लिए केंद्रक अभिकरण होगा ।
- (2) बोर्ड, पी०पी०पी० और/या निजी सहभागिता के माध्यम से राज्य में विकसित और/या प्रबंधित और/या संचालित की जाने वाली परियोजनाओं की पहचान स्वयं या राज्य सरकार द्वारा निर्देशित या प्रत्यायोजित के रूप में करेगा।
- (3) उपधारा(2) में निर्दिष्ट परियोजनाओं के प्राप्त होने पर, बोर्ड यह निर्णय करेगा कि क्या सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी०पी०पी०) परियोजना को पूरी तरह से निजी सहभागिता के आधार पर और / या आंशिक रूप से / पूरी तरह से निधि से बाहर निष्पादित किया जाना है । इसके बाद बोर्ड निम्नलिखित कार्य करेगा:
 - (क) परियोजना को आगे ले जाने के लिए व्यवहारिता और अन्य अध्ययनों/रिपोर्टों/सहायता के लिए परामर्शदाता/सलाहकार/लेन-देन सलाहकार नियुक्त करना;
 - (ख) औपचारिक रिपोर्ट और उद्योग से बातचीत के माध्यम से परियोजना की व्यवहार्यता का निर्धारण करना;
 - (ग) परियोजनाओं के लिए संरचना और अन्य मापदंडों को अंतिम रूप देना;
 - (घ) सरकार और संबंधित विभाग का अनुमोदन प्राप्त करना;
 - (ड) निविदा आमंत्रित करने वाली परियोजना या प्रस्ताव के

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी विधान सभा सचिवालय उत्तराखण्ड

लिए अनुरोध प्रस्तुत करने की सूचना देना;

- (च) पूर्व- निविदाओं प्रक्रियाओं पर कार्यवाही करना;
- (छ) निविदाओं का मूल्यांकन करना;
- (ज) समझौता वार्ता का संचालन करना और बोर्ड द्वारा रियायत देने की सिफारिश करना एवं
- (झ) संबंधित विभाग की ओर से निविदा पुरूस्कृत (award) के बाद निरीक्षण करना
- (4) राज्य सरकार के निर्देश पर बोर्ड मुद्रीकरण और विनिवेश परियोजनाएं शुरू कर सकता है।

धारा 28 के तहत विकसित की जाने वाली परियोजना की पहचान करने पर, बोर्ड संबंधित क्षेत्रीय उप—समिति को स्वयं या बाहरी सेवा प्रदाताओं या सलाहकारों के माध्यम से व्यवहारिता अध्ययन करने और बोर्ड द्वारा तय की गई उचित अविध के भीतर व्यवहारिता रिपोर्ट तैयार करने और प्रस्तुत करने का निर्देश देगा।

व्यवहारिता रिपोर्ट प्रस्तावित विकास प्रतिमान/ पी०पी०पी० संरचना के संदर्भ में बोर्ड/राज्य सरकार/सरकारी निकायों और निजी क्षेत्र के विकासक/निवेशक/संचालक के लिए लागत और राजस्व विश्लेषण करने के बाद परियोजना की व्यवहारिता का पता लगाएगी । व्यवहारिता रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करेगी कि परियोजना इस अधिनियम में और विशेष रूप से धारा 3 में परिमाषित सीमा शर्तों का अनुपालन करती है। व्यवहारिता रिपोर्ट परियोजना की वित्तीय और आर्थिक व्यवहारिता के बीच अंतर के आधार पर परियोजना की वी०जी०एफ० आवश्यकताओं, यदि कोई हो, का भी पता लगाएगी ।

- (1) परियोजना के दायरे और संरचना को अंतिम रूप देने हेतु, बोर्ड कम से कम दो राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों में, जिनमें से एक वित्तीय या बिजनेस समाचार पत्र होगा; और एक स्थानीय समाचार पत्र में, सभी इच्छुक दलों को प्रतिस्पर्धी सार्वजिनक निविदा प्रकिया में भाग लेने के लिए आमंत्रित करने वाला एक नोटिस जारी करेगा।
- (2) बोर्ड पूर्व-निविदा और निविदा लगाने की प्रक्रियाओं के सभी पहलुओं के लिए सभी तरह से जिम्मेदार होगा, जिसमें शामिल हैं::
 - (क) संभावित निविदादाताओं, निवेशकों, ठेकेदारों और

व्यवहारिता रिपोर्ट

29

परियोजना के लिए 30 सार्वजनिक निविदा

> प्रमाणित प्रति लोक सूचना अधिकारी विभान सभा संदिवालस उत्तरस्मान्त

आम जनता को स्पष्ट रूप से चिन्हित किये जाने वाले मापदंडों के आधार पर पूर्व-अर्हता मानदंड तय करना;

- (ख) ठेकेदारों या निवेशकों सहित संगावित निविदादाताओं के साथ पूर्व—निविदा सम्मेलनों और निविदा मूल्यांकन सम्मेलनों की व्यवस्था करना;
- (ग) निविदादाताओं को स्पष्ट, व्यापक और निष्पक्ष निर्देश जारी करना, जो निविदा के नियमों को स्थापित करते हैं और इसमें सभी प्रासंगिक जानकारी शामिल होगी।
- (घ) निविदा या निविदा दस्तावेज तैयार करना, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:
 - निविदादाताओं को निर्देश;
 - ii. पूर्व—अर्हता या अर्हता मापदण्ड, दोनों तकनीकी (अनुभव, विशिष्ट प्रतिमानक, डिजाइन और प्रदर्शन मानकों का संकेत) और वित्तीय;
 - iii. रियायत अनुबन्ध मसौदा या कोई अन्य उपयुक्त अनुबन्ध, स्पष्ट रूप से दलों के बीच बुनियादी संबंधों को उनके पारस्परिक अधिकारों और जिम्मेदारियों के साथ परिभाषित करता है;
 - iv. निविदा प्रपत्र: एवं
 - v. कोई अन्य दस्तावेज, जो आवश्यक समझा गया हो
- (3) निविदादाताओं को निविदा लगाने से संबंधित निर्देश स्पष्ट, व्यापक और निष्पक्ष होंगे और जहां तक आवश्यक और व्यावहारिक होगा, निम्नलिखित जानकारी शामिल होगी, अर्थात्:
 - (क) परियोजना का सामान्य वर्णन और उद्देश्य;
 - (ख) बुनियादी अनुबन्धनात्मक व्यवस्था जिसके तहत परियोजना का कार्यान्वयन किया जाएगा;
 - (ग) बोली जमा करना, क्रियाविधियां और आवश्यकताएं;
 - (घ) बोली और निविदा सुरक्षा वैधता अवधि;
 - (ड) बाध्यकारी माइलस्टोन;
 - (च) बोली के तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन के लिए

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी विधान सभा सरिवालय उत्तरस्यण्ड

विधि और मानदंड;

- (छ) रियायतग्राही द्वारा पथ कर या शुल्क या किराए के शुल्क, वसूली और विनियोग के लिए उपयोग की जाने वाली दर सूची नीति, सूत्र और कारक;
- (ज) प्रमुख प्रदर्शन संकेतक;
- (झ) चूक के प्रकार और उसका संकल्प;
- (ञ)समाप्ति और संबंधित समाप्ति भुगतान की घटनाएं;
- (ट) संबंधित नियामक निकायों की आवश्यकताएं, यदि कोई हो:
- (ठ). विदेशी मुद्रा प्रेषण को नियंत्रित करने वाले मौद्रिक नियम और विनियम, यदि प्रासंगिक हों;
- (ड) राजस्व बंटवारे की व्यवस्था, यदि कोई हो; एवं
- (ढ़) अपेक्षित प्रवर्तन (कमीशनिंग) तिथि
- (4) न्यूनतम डिजाइन और प्रदर्शन मानकों या विशिष्टताओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाएगा और इन न्यूनतम आवश्यकताओं में से किसी के साथ गैर—अनुरूपता बोलियों को गैर—अनुक्रियाशील के रूप में प्रस्तुत करेगी।
- (5) वित्तीय मापदंडों का भी वर्णन किया जाएगा, जिसमें अन्य के साथ-साथ, जहां तक आवश्यक और व्यावहारिक हो, निम्नलिखित शामिल होंगे:
 - (क) परियोजना निर्माण की अधिकतम अवधि;
 - (ख) अनुसूची 2 में निर्दिष्ट अनुबंधों के प्रतिमान के संबंध में परियोजना संचालन और पथ कर या शुल्क या किराया या प्रभार के संग्रह के लिए निश्चित अवधि;
 - (ग) रियायत अनुबन्ध मसौदा स्पष्ट रूप से दलों के बीच बुनियादी और कानूनी संबंधों के साथ—साथ शामिल पक्षों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करेगा। जहां लागू हो, अन्य बातों के साथ—साथ निम्नलिखित मामले शामिल किए जाएंगे:
 - (घ) बांड, गारंटी, बीमा, हर्जाना;
 - (ंड) आश्वासन, इनडिमनेटी (क्षतिपूर्ति), देयता की सीमा;
 - (च) अनुसूची और तय माइलस्टोन की राशि;
 - (छ) प्रासंगिक मूल्य सूचकांक का उपयोग किया जाना है;
 - (ज) अप्रत्याशित घटना और उसके परिणाम;
 - (झ) परिस्थितियों में परिवर्तन का प्रभाव, जो दूसरों के

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी विधान सभा सविद्यालयः उत्तराख्यान पूर्व—बोली या पूर्व—अर्हता 31 चरण

> प्रमाणित प्रति लोक सूचना अधिकारी विधान सभा अधिवालंध उत्तराखण्ड

बीच, नए कानूनों या विनियमों के अधिनियमन या मौजूदा सरकारी नीतियों में बदलाव के कारण हो सकता है, जो परियोजना की वित्तीय व्यवहार्यता को भौतिक रूप से प्रभावित करेगा।;

- (ञ) अनुबंध समाप्ति और संयोजन;
- (ट) साझेदारी, समाधान, मध्यस्थता सहित विवादों के समाधान के लिए शासी कानून, तरीके और प्रक्रिया;
- (ठ) स्थायी आधार पर स्वतंत्र गुणवत्ता नियंत्रण सलाहकारों और विवाद समीक्षा विशेषज्ञों के प्रावधानों सहित परियोजना निगरानी तंत्र; एवं
- (ड) कर और डगूटी।
- (1) कोई भी व्यक्ति, जो अर्हता मानदंडों को पूरा करता है, बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रचलित कानूनों और नीतियों के अधीन निविदाओं या प्रस्तावों को आमंत्रित करने वाले नोटिस का जवाब दे सकता है। अभिव्यक्ति 'व्यक्ति' में प्राकृतिक और न्यायिक व्यक्ति शामिल होंगे, जैसा कि बोर्ड की नीतियों द्वारा अनुमत है, चाहे भारतीय या विदेशी मूल के हों।
- (2) यदि बोर्ड दो चरणों वाली प्रक्रिया को चुनता है, तो संमावित बोलीदाताओं को निर्दिष्ट अवधि के भीतर अपने संबंधित पूर्व—अर्हता दस्तावेज तैयार करने और जमा करने की आवश्यकता होगी।
- (3) दूसरों के बीच, निम्नलिखित को बोर्ड द्वारा पूर्व—अर्हता आवश्यकताओं के रूप में निर्दिष्ट किया जा सकता है, अर्थात्:
 - (क) कानूनी आवश्यकतायें.
 - (ख) तकनीकी अर्हता यानी, आवेदक के पास परियोजना या क्षेत्र के लिए निर्दिष्ट आवश्यकताओं के संदर्भ में पर्याप्त प्रासंगिक अनुभव होना चाहिए, आवेदक को किसी भी पिछले रियायत करार में उल्लंघन नहीं करना चाहिए, और अन्य अर्हताएं जो बोर्ड किसी विशेष परियोजना के लिए उपयुक्त हो सकती हैं; एवं
 - (ग) वित्तीय अर्हता अर्थात, आवेदक को परियोजना की वित्तीय आवश्यकताओं को बनाए रखने की क्षमता दिखानी चाहिए, जिसे परियोजना के लिए समानक की न्यूनतम राशि और बैंक से अच्छी स्थिति के पत्र प्रदान करने के लिए छूट पाने वाले की क्षमता के

बोली लगाने का चरण

32

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी विधान सभा समियालय उत्तराखण्ड

प्रमाण के रूप में मापा जा सकता है।

- (4) प्राप्त पूर्व—अर्हता प्रस्ताव के आधार पर, बोर्ड प्रत्येक संभावित प्रस्तावक/आवेदक के पूर्व—अर्हता दस्तावेजों को पूर्व—अर्हता या पूर्व—अयोग्यता, जैसा भी मामला हो, एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर चिह्नित करेगा।
- (1) बोर्ड सभी पूर्व—अर्हता प्राप्त बोलीदाताओं को उनकी संबंधित बोली तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए निर्दिष्ट अविध के भीतर संबंधित बोली दस्तावेज उपलब्ध कराएगा।
- (2) बोलियां बोर्ड द्वारा निर्देशित दो लिफाफों में प्रस्तुत की जा सकती हैं आनॅलाइन अथवा/और ऑफलाइन जिसमें एक में तकनीकी प्रस्ताव और दूसरे में वित्तीय प्रस्ताव होगा।
- (3) आवश्यक बोली सुरक्षा, यदि कोई हो, निर्दिष्ट अवधि के लिए वैध होगी, लेकिन किसी भी मामले में यह बोलियों के खुलने के एक सौ बीस दिनों से अधिक नहीं होगी, जब तक कि किसी विशेष परियोजना के लिए बोर्ड द्वारा विशेष रूप से निर्णय नहीं लिया जाता।
- (4) निर्दिष्ट क्रियाविधि और अवधि के संदर्भ में बोलियों का मूल्यांकन दो चरणों में किया जाएगा।
- (5) मूल्यांकन के पहले चरण में प्रस्ताव की तकनीकी, परिचालन और पर्यावरणीय व्यवहार्यता के संबंध में तकनीकी प्रस्ताव का निर्धारण शामिल होगा जैसा कि बोलीदाता के पहले लिफाफे में निर्दिष्ट आवश्यकताओं और मानदंडों या न्यूनतम मानकों और बोली दस्तावेजों में निर्दिष्ट बुनियादी मापदंडों के साथ निहित है।
- (6) केवल वे बोलीदाता, जो मूल्यांकन के पहले चरण में अयोग्य घोषित नहीं किए गए हैं, मूल्यांकन के दूसरे चरण में भाग लेने के पात्र होंगे। मूल्यांकन के दूसरे चरण में इस संबंध में बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट मानदंडों और मापदंडों के आधार पर योग्य बोलीदाताओं के वित्तीय प्रस्तावों की तुलना में निर्धारण शामिल होगा। ऐसे मानदंड और मापदंड, निजी सहभागिता के बिना परियोजनाओं के मामले में, काम देने के लिए योग्य बोली लगाने वाले को निर्धारित करने के उद्देश्य से तकनीकी और वित्तीय रकोर को सयुंक्त रकोर के माध्यम से निर्णय लिया जायेगा।
- (7) बोर्ड द्वारा अपनाई गई बोली प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं: न्यूनतम / न्यूनतम लागत, उच्चतम बोली, QCBS (गुणवत्ता

रियायत का अनुदान

33

सह लागत आधारित चयन), नीलामी, प्रति नीलामी, केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्थापित कोई अन्य अनुमत तंत्र।

- (8) एक परियोजना की संरचना के संदर्भ में बोर्ड द्वारा अपनाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के अनुबंधों को अनुसूची ॥ में रेखांकित किया गया है। इनके अलावा, बोर्ड केंद्र या राज्य सरकार द्वारा अपनाए गए अन्य प्रकार के अनुबंधों पर विचार कर सकता है।
- (1) रियायत बोर्ड या किसी अन्य सरकारी विभाग / निकाय या संयुक्त रूप से बोली लगाने वाले को दी जाएगी जो:
 - (क) निर्धारित वित्तीय, तकनीकी, संगठनात्मक और कानूनी मानकों को पूरा करता है; एवं
 - (ख) जिसकी बोली परियोजना के प्रस्तावित पथ कर, शुल्क, किराया, प्रभार और रियायत की अवधि के वर्तमान मूल्य के आधार पर परियोजना के लिए सबसे कम / सबसे अनुकूल शर्तों में है, परियोजना के निर्माण, पुनर्वास, संचालन और रखरखाव के लिए एक निश्चित अवधि के लिए निर्धारित न्यूनतम डिजाइन और प्रदर्शन मानकों, योजनाओं और विनिर्देशों के अनुसार हो।
- (2) किसी भी क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले वित्तीय पैकंज या किसी भी परियोजना के लिए दी जाने वाली रियायतों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि यह अधिकतम निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए वित्तीय रूप से व्यवहार्य और बैंक योग्य है। बोर्ड को किसी परियोजना को व्यवहार्य बनाने के लिए पर्याप्त निवेश करना या पर्याप्त रियायतें देना पड़ सकता है, हालांकि यह राज्य और केंद्रीय सरकार द्वारा दिए गए उपयुक्त निर्देशों द्वारा शासित होगा।
- (3) दूसरे चरण के मूल्यांकन के पूरा होने के तुरंत बाद, अनुबंध देने या न देने का निर्णय बोर्ड द्वारा लिया जाएगा।
- (4) यदि बोर्ड अनुबंध प्रदान करने का निर्णय लेता है, तो बोर्ड ऐसे निर्णय के तुरंत बाद प्रस्तावित अनुबन्ध पाने वाले (अवार्डी) को नोटिस ऑफ अवार्ड इस निर्णय के तुरन्त बाद जारी करेगा।
- (5) नोटिस ऑफ अवार्ड की सूचना, दूसरों के बीच, उस समय को इंगित करेगी, जिसके भीतर प्रस्तावित अनुबन्ध प्राप्त करने वाले (अवार्डी) निर्दिष्ट प्रदर्शन सुरक्षा, समानक

योगदान, वित्तपोषण संसाधनों एवं टेन्डर के अन्तर्गत निहित अन्य शर्तों का प्रमाण प्रस्तुत करेगा। एक संयुक्त उद्यम या सहायता संघ के मामले में, यह दर्शाता है कि सदस्य अनुबंध के तहत रियायतग्राही के दायित्वों के लिए संयुक्त रूप से और गंभीर रूप से जिम्मेदार होगा।

- (6) सफल बोलीदाता को परियोजना के विकास और /या संचालन और /या रखरखाव के लिए रियायत दी जाएगी, जिसमें निर्दिष्ट पथ कर, प्रशुल्क, किराया और प्रभार इत्यादि एकत्र करने का अधिकार शामिल है।
- (7) परियोजना के वास्तविक अवार्ड अथवा क्रियांन्वयन से पूर्व यदि कोई संयुक्त उद्यम बोलीदाता का कोई रादस्य कार्य छोड़ता है तो उस स्थिति में, अनुबंध को रह करने और उस बोलीदाता की बोली सुरक्षा को जब्त करने का आधार हो सकता है। यद्यपि, बोर्ड परियोजना के कार्यान्वयन के लिए अनुबंध के अवार्ड के साथ आगे बढ़ सकता है, अगर यह राय है कि संयुक्त उद्यम या सहायता संघ के अन्य सदस्य अभी भी परियोजना को पूरा करने में सक्षम हैं या उन्होंने समान या बेहतर योग्यता के साथ एक उपयुक्त और स्वीकार्य विकल्प प्रदान किया है।
- (8) बोली और बोली प्रतिमूतियों को बोलीदाताओं के चयन की प्रक्रिया और रियायत की मंजूरी पूरी होने तक वैध रखा जाएगा। एक बार रियायत दिए जाने के बाद बोली प्रतिभूतियां असफल बोलीदाताओं को वापस कर दी जाएंगी। (9) निर्दिष्ट अवधि के भीतर बोर्ड के साथ रियायत करार में प्रवेश करके अपनी बोली को अच्छी बनाने के लिए सबसे कम अनुपालन मूल्यांकन वाली बोली के साथ बोलीदाता के या विफलता इनकार, अक्षमता की रिथति यू०आई०आई०डी०बी० (UIIDB) ऐसे बोलीदाता की बोली सुरक्षा धनराशि को जब्त कर लेगी। ऐसी स्थिति में, बोर्ड पुरस्कार के लिए अगली अनुपालन और योग्य न्यूनतम मूल्यांकन बोली पर विचार करेगा। यदि वह भी रियायत करार को निष्पादित करने में विफल रहता है, तो उसकी बोली सुरक्षा भी जब्त कर ली जाएगी, और बोर्ड अगली अनुपालन और योग्य न्यूनतम मूल्यांकन की गई बोली पर विचार करेगा, और इसी तरह जब तक कि एक अनुबंध में प्रवेश नहीं किया जाता है। यदि बोर्ड अनुपालन करने वाले

प्रमाणित प्रति लोक सूचना अधिकारी विमान सभा प्रविद्यालय उत्तरसम्बद्ध अनुबंधों का परक्रामण 34 (निगोशिएशन)

विशेष प्रयोजन साधनों के 35 माध्यम से विकास

> प्रमाणित प्रति लोक सरका मधिकारी विवास रोमा अधिकारी विवास रोमा अधिकारावा इत्तराज्य

और योग्य बोलीदाताओं में से किसी के मना करने के कारण अनुबंध निष्पादित करने में असमर्थ है, तो परियोजना फिर से बोली लगाने के अधीन होगी।

(10) जब कोई बोली प्राप्त नहीं होती है, तो बोली को विफल घोषित कर दिया जाएगा। ऐसे मामले में, संबंधित परियोजना के लिए बोली को फिर से बुलाया जाएगा।

परक्रामण का सहारा तब लिया जा सकता है जब निर्धारित पूर्व—अर्हता शर्तों का अनुपालन करने वाला केवल एक बोलीदाता हो (इसके बाद "अनुपालन करने वाले बोलीदाता" के रूप में संदर्भित) जैसा कि यहां परिभाषित किया गया है:

- (1) यदि विज्ञापन के बाद, केवल एक रियायतग्राही ने पूर्व—अर्हता के लिए आवेदन किया है, और यह पूर्व—अर्हता आवश्यकताओं को पूरा करता हो;
- (2) यदि विज्ञापन के बाद, एक से अधिक रियायतग्राही ने पूर्व—अर्हता के लिए आवेदन किया है, लेकिन केवल एक ही पूर्व—अर्हता आवश्यकताओं को पूरा करता हो;
- (3) यदि एक से अधिक रियायतग्राहियों की पूर्व अर्हता के बाद केवल एक ही बोली प्रस्तुत करता है; एवं
- (4) यदि पूर्व-अर्हता के बाद, एक से अधिक रियायतग्राही बोलियां प्रस्तुत करते हैं, लेकिन बोर्ड द्वारा केवल एक को ही अनुपालन करने वाला बोलीदाता पाया जाता है।

परन्तु व्यथित निरर्हित बोलीदाता में से कोई भी, बोर्ड के विनिश्चय की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर, प्राधिकारी को अपील फाइल कर सकेगा और अपील फाइल करने की तारीख से इक्कीस दिन की अवधि के भीतर प्राधिकारी द्वारा उसका विनिश्चय किया जाएगा।

- (1) यदि पूर्व—व्यवहारिता चरण के बाद किसी भी समय, बोर्ड की प्रथम दृष्ट्या राय है कि एक प्रस्तावित परियोजना निजी सहमागिता के माध्यम से सफल होने की संभावना नहीं है, तो बोर्ड उस परियोजना को राज्य सरकार को संदर्भित कर सकता है ताकि बोर्ड या अन्य राज्य अभिकरणों के पास उपलब्ध निधि का लाभ उठाकर विशेष प्रयोजन साधन या साधनों के माध्यम से निष्पादित किया जा सके।
- (2) विशेष प्रयोजन साधन में निजी सहभागिता के मामले में, जिन्हें उप—धारा(1) में निर्दिष्ट परियोजनाओं को लागू करने के लिए रियायतें दी जाती हैं, वे विशेष प्रयोजन वाहन इस

रियायत करार का निष्पादन 3

अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों और नियमों द्वारा शासित होंगे ।

- (1) धारा 33 की उपधारा (4) के तहत पुरस्कार (award) की सूचना जारी करने के तुरंत बाद बोर्ड अभिकरण पुरस्कार विजेता या सफल बोलीदाता के साथ एक रियायत करार को निष्पादित करेगा। पी०पी०पी० परियोजनाओं के लिए, संबंधित विभागों द्वारा रियायत करार पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं या बोर्ड और संबंधित विभागों दोनों के साथ त्रिपक्षीय करार किया जा सकता है।
- (2) जहां बोर्ड, किसी परियोजना की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए संतुष्ट है कि ऐसा करना आवश्यक है, वहां वह परियोजनाओं के विकास, संचालन और प्रबंधन में निजी सहभागिता के प्रयोजन के लिए अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट प्रकृति के दो या अधिक प्रतिमान अनुबंध को एक करार में संयोजित करने की अनुमति दे सकता है।
- (3) जहां बोर्ड, किसी परियोजना की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए संतुष्ट है कि, ऐसा करना आवश्यक है, वह परियोजनाओं के विकास, संचालन और प्रबंधन में निजी सहभागिता के प्रयोजन के लिए अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट अनुबंधों के अलावा अन्य नए मॉडल अनुबंधों की अनुमित दे सकता है।

अध्याय-7

परियोजना कार्यान्वयन

प्रशुल्क

37

(1) राज्य सरकार द्वारा अधिनियमित किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, रियायतग्राही किसी परियोजना से संबंधित या उससे उद्भूत किसी सुविधा या उत्पाद या सेवा के उपयोग की प्रशुल्क रियायत करार के निबंधन और शर्तों के अनुसार शुल्क प्रभार, वसूल और समुचित कर सकेगा, जहां ऐसी परियोजना का विकास और / या प्रचालन और / या अनुरक्षण रियायतग्राही द्वारा अपने व्यय पर किया गया है।

(2) परियोजना के विकास, संचालन और रखरखाव के वित्त पोषण के लिए रियायतग्राही का अधिकार एकत्र करने, बनाए रखने और उचित प्रशुक्क देने का अधिकार इसके

प्रमाणित प्रति ्रि लोक सूचना अधिकारी विधान सभा सविद्यालय उत्तराखण्ड

ऋणदाताओं को दिया जाएगा।

(3) प्रशुक्क में किसी भी प्रकार का परिवर्तन रियायत समझौते के अनुसार किया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में प्राधिकरण प्रशुक्क में परिवर्तन के लिए सक्षम होगा परन्तु परिवर्तन हेतु रियायत ग्राही एवं बोर्ड की सहमति ली जायेगी परन्तु यह कि वे परियोजनाएं जिनमें प्रशुक्क की व्यवस्था नहीं हो वहां प्राधिकरण परियोजना के वित्तीय विश्लेषण के आधार पर प्रशुक्क का निर्धारण कर सकेगा।

बोर्ड द्वारा दी गई रियायतें रियायतग्राही चूक की स्थिति में नियतन और खंड में कदम अनुपर्णी करेंगी ।

रियायतग्राही समनुदेशन खंड के अनुसार, रियायतग्राही को इस निमित्त जारी किए गए या बनाए गए दिशा निर्देशों और विनियमों के अधीन रहते हुए, पूर्वोक्त अपने अधिकारों और ब्याज को निर्दिष्ट करने के लिए सक्षम करने के अनुसार, रियायत करार या परियोजना आस्तियों में अपने किसी भी वित्तपोषक को संपार्श्विक के रूप में अपने अधिकारों और ब्याज की पेशकश कर सकता है।

रूप म अपन अधिकारों और ब्याज की पेशकश कर सकता है।
एक बार किसी परियोजना को अंतिम रूप दिए जाने या रियायत
दिए जाने के बाद, बोर्ड, राज्य सरकार और अन्य सरकारी विभाग
आदि यह सुनिश्चित करेंगे कि वे किसी भी तरह से कार्य न करें,
जिसके परिणामस्वरूप परियोजना की तकनीकी और वाणिज्यिक
व्यवहार्यता या जीवनक्षमता या रियायत समझौते पर भौतिक प्रतिकूल
प्रभाव पड़ता है।

(1) बोर्ड, रियायत करार के प्रावधानों के अनुसार, यदि यह समझता है किसी रियायतकरार को समाप्त करना आवश्यक है तो रियायतग्राह को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करते हुए रियायत को समाप्त सुस्पष्ट आदेश के माध्यम से समाप्त कर सकता है।

रियायतग्राही ऐसे किसी समाप्ति आदेश से व्यथित महसूस करता है, तो वह ऐसे आदेश को रद्द करने के लिए कारण बताते हुए, इस निमित्त प्राधिकरण या सी०सी०आई०ई० (CCIE) (प्राधिकरण की अनुपरिथित में), के समक्ष अपील दायर कर सकता है।

(2) जहां एक रियायत करार को बोर्ड द्वारा रियायतग्राही की सहमति के साथ या उसके बिना समाप्त कर दिया जाता है, रियायतग्राही इस तरह की समाप्ति के लिए मुआवजे की ऐसी राशि का हकदार होगा, जैसा कि रियायत करार में निर्दिष्ट है।

अध्याय-8

नियतन

38

अंतिम परियोजनाओं और 39 स्वीकृत रियायतों की व्यवहारिता और व्यवहार्यता

रियायत करार की समाप्ति 40

प्रमाणित प्रति े लोक सूचना अधिकाकी विधान सभा सविद्याल

अपील और अन्य विविध प्रावधान

प्राधिकरण के आदेशों से 41 अपील

प्राधिकरण के निर्देशों के 42 उल्लंघन के लिए अर्थदंड

राज्य सरकार की नियम 43 बनाने की शक्तियाँ



प्राधिकरण या सी०सी०आई०ई० (CCIE) के किसी भी निर्णय या आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति प्राधिकरण के निर्णय या आदेश की सूचना की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकता है।

- (1) यदि कोई व्यक्ति प्राधिकरण के निर्देशों का उल्लंघन करता है, तो ऐसा व्यक्ति जुर्माने से, जो पचास हजार रुपये तक हो सकता है और दूसरे या उत्तरवर्ती अपराध के मामले में, जुर्माने से, जो एक लाख रुपये तक का हो सकता है, दंडनीय होगा। लगातार उल्लंघन के मामले में, एक अतिरिक्त जुर्माना, जो प्रत्येक दिन के लिए पांच हज़ार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, जिसके दौरान पहले अपराध के बाद ऐसा उल्लंघन जारी रहता है।
- (2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक या अन्य अधिकारी की सहमति या मिलीभगत से किया गया है, या उसके कारण है, यथास्थिति, ऐसे निदेशक, प्रबंधक या अन्य अधिकारी को भी अपराध का दोषी समझा जाएगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और तदनुसार दंडित किए जाने के लिए दायी होगा।

परन्तु कि इस उप—धारा में निहित कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम में निर्दिष्ट किसी भी दंड के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, अगर वह साबित करता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध को रोकने के लिए सभी उचित परिश्रम का प्रयोग किया था।

- (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है।
- (2) विशेष रूप से और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता और इस अधिनियम में विशेष रूप से प्रदान किए गए मामलों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रदान

कर सकते हैं, लेकिन उसी तक सीमित नहीं हैं, अर्थात:

- (क) समापित और अन्य सदस्यों को देय वेतन और भत्ते और सेवा के अन्य नियमों और शर्तों को निर्धारित करना;
- (ख) वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रपत्र और स्थान निर्धारित करना;
- (ग) विवरणी, विवरण और ब्यौरे प्रस्तुत करने का प्रपत्र और तरीका निर्धारित करना;
- (घ)खातों को बनाए रखने और विवरणियां जमा करने के तरीके को निर्धारित करना।
- (ड) बोर्ड के परामर्शदाताओं और अन्य सलाहकारों को देय वेतन और भत्तों तथा सेवा के अन्य नियमों और शर्तों का निर्धारण; और
- (च) अपने कर्तव्यों के निष्पादन के लिए बोर्ड द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं और कार्यप्रवाहों को निर्धारित करना।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, राज्य विधानसभा के समक्ष, जबिक वह सत्र में है, कुल चौदह दिनों की अविध के लिए रखा जाएगा, जो एक सत्र में या दो या अधिक क्रिमिक सत्रों में सिमालित किया जा सकता है, और यदि, उस सत्र की समाप्ति से पहले जिसमें वह इस प्रकार रखा गया है या पूर्वोक्त क्रिमिक सत्र, सदन नियमों में कोई संशोधन करने में सहमत होता है, या सदन सहमत होता है कि नियम नहीं बनाए जाने चाहिए, तो उसके बाद नियम केवल ऐसे संशोधित रूप में प्रभावी होंगे या यथास्थिति, प्रभावी नहीं होंगे हो सकता है, हालांकि, कि ऐसा कोई भी संशोधन या विलोपन उस नियम के तहत पहले किए गए या किए जाने के लिए लोप किए गए किसी भी चीज की वैधता पर प्रतिकृल प्रभाव डाले बिना होगा ।

राज्य सरकार के पास राज्य में निवेश, पी०पी०पी० और आधारिक संरचना क्षेत्रकों और आधारिक संरचना परियोजनाओं से संबंधित मामलों पर बोर्ड और प्राधिकरण को नीतिगत निर्देश जारी करने की शक्ति होगी। जारी किए गए सभी नीतिगत निर्देश इस अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और इस अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने

निर्देश जारी करने की शक्ति

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी विधान सभा सविद्यालय उत्तराखण्ड सहायिकी

45

प्राधिकरण और बोर्ड के 46 सभापति, सदस्य, अधिकारी और अन्य कर्मचारी को लोक सेवक माना जाना

सद्भावना से की गई कार्यवाही 47 के लिए संरक्षण

कठिनाइयाँ दूर करने की 48

अनुसूची में संशोधन करने की 49 शक्ति अन्य कानूनों पर अध्यारोही 50 प्रभाव

> प्रमाणित प्रति ्र लोक सूबना अधिकारी विधान सभा स्विपालय इत्तराखण्ट

वाले उद्देश्यों के अनुरूप होंगे।

राज्य सरकार, मामला—दर—मामला आधार पर, उपभोक्ताओं के एक वर्ग को सेवाएं प्रदान करने या आधारिक संरचना परियोजना या आधारिक संरचना क्षेत्रक की सुविधाओं का उपयोग करने के लिए दी जाने वाली सहायिकी के संबंध में दिशानिर्देश जारी कर सकती है।

प्राधिकरण और बोर्ड के सभापति, सदस्य, अधिकारी और अन्य कर्मचारी, जब इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के अनुसरण में कार्य करने या कार्य करने का उद्देश्य रखते हैं, तो वहां बनाए गए नियम और विनियम, भारतीय दंड संहिता की धारा 21 (अधिनियम संख्या—45, वर्ष 1860) के अर्थ के भीतर लोक सेवक माने जाएंगे।

कोई भी मुकदमा, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाही राज्य सरकार या बोर्ड या प्राधिकरण के किसी अधिकारी या सभापति, किसी भी सदस्य, अधिकारी या प्राधिकरण या बोर्ड के अन्य कर्मचारी के खिलाफ किसी भी चीज के लिए नहीं होगी, जो इस अधिनियम और नियमों या विनियमों के तहत अच्छे विश्वास के साथ किया जाता है या किया जाना है।

- (1) यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती हैं, तो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे प्रावधान कर सकेगी जो इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हों, जो कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों, परन्तु कि इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष की अविध समाप्त होने के पश्चात् इस धारा के अधीन कोई आदेश नहीं किया जाएगा ।
- (2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।

राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम की किसी भी अनुसूची में संशोधन कर सकती है।

इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के प्रावधानों, या उसके अधीन बनाए गए नियम या विनियम या उप–विधियां, राज्य सरकार द्वारा और उस समय प्रवृत्त उत्तराखंड राज्य में अधिनियमित अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी असंगत बात के होते हुए भी प्रभावी होंगी । सिविल न्यायालयों की 51 अधिकारिता का वर्जन

निरसन और व्यावृत्ति 52

इस अधिनियम में, उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के तहत पारित कोई आदेश या कार्रवाई इस अधिनियम में प्रदान किए गए नियमों के सिवाए अपीलनीय नहीं होगी और किसी भी दीवानी न्यायालय को किसी भी मामले के संबंध में अधिकारिता नहीं होगी, जिस पर प्राधिकरण या बोर्ड को निर्णय लेने और निर्णय देने का अधिकार है।

- (1) उत्तराखण्ड निवेश और आधारिक संरचना (विकास और विनियमन) अध्यादेश, 2023 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।
- (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गयी समझी जायेगी।

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी विधान सभा अधिकारी उत्तराखणड

अनुसूची- एक

आधारिक संरचना क्षेत्रक

आधारिक संरचना क्षेत्रक में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- 1. सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित आधारिक संरचना
- परिवहन जनता के लाभ के लिए सङ्कें, पुल, सङ्क परिवहन और संबंधित क्षेत्र, मेट्रो और अन्य परिवहन मोड क्षेत्र आदि
- 3. शहरी / ग्रामीण आधारिक संरचना जिसमें शामिल हैं
 - क. जल आपूर्ति और सीवरेज;
 - ख. सीवरेज और अपशिष्ट जल निकासी, निपटान और उपचार;
 - ग. आंतरिक सड़कों, गली और गली लाइटिंग;
 - घ. ठोस अपशिष्ट प्रबंधनः
 - ड. पार्क और मैदान:
 - च. शहरी जन पारगमन प्रणाली;
 - छ. सार्वजनिक पार्किंग से संबंधित सुविधाएं / बहुस्तरीय पार्किंग; एवं
 - ज. खेल और मनोरंजक आधारिक संरचना
- 4. औद्योगिक संपदा, औद्योगिक पार्क, आधुनिक औद्योगिक उपनगर और विशेष आर्थिक क्षेत्र आदि
- 5. सचाई जल निकासी और बाढ़ नियंत्रण आधारिक संरचना
- 6. अन्य कृषि आधारिक संरचना, जिसमें कटाई के बाद की सुविधाएं जैसे भंडारण सुविधाएं, कोल्ड चेन, क्रमस्थापन प्रसंस्करण और विपणन आदि शामिल हैं।
- चिकित्सा और स्वारथ्य देखमाल सुविधाएं और चिकित्सा अनुसंधान और शिक्षा सुविधाएं।
- 8. सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, विरासत और संग्रहालय सुविधाओं सहित पर्यटन संबंधी सुविधाएं और आधारिक संरचना।
- 9. ऊर्जा, ऊर्जा उत्पादन, पारेषण और वितरण आधारिक संरचना, ईंधन, ऊर्जा के नए और नवीकरणीय स्रोत
- 10. तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा आदि सहित शिक्षा का आधारिक संरचना।
- 11. बहिस्राव उपचार संयंत्रों सहित पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण आधारिक संरचना डब्लू० टी० पी०, एस० टी०पी०,ई०टी०पी० आदि
- 12. नागरिक उड्डयन जिनमें हवाई अड्डे, फ्लाइंग क्लब, विमानन प्रशिक्षण संस्थान, हवाई अड्डे शहर की ओर का विकास, हवाई अड्डा विमानन, हेलीपैड और संबंधित आधारिक संरचना, और गैर—विमानन सुविधा आदि
- 13. निम्नलिखित सहित सामाजिक आधारिक संरचना:
 - क. जेलों, बाल सुधार गृह, सामाजिक सुधार संस्थान आदि सुधारात्मक आधारिक संरवना
 - खं. सेवा आधारिक संरचना, आईoटीo आधारित प्रशासकीय तथा अन्य लोक सेवाएं आदि
 - ग.सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड पर अन्य सामाजिक आधारिक संरचना जिसमें स्लम पुनर्वास, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के आवास सुविधाओं, वृद्धाश्रमों, अनाथालयों और डे केयर सुविधाएं आदि।
- 14. प्रशासनिक भवनों और आवास सुविधाओं सहित शासन के आधारिक संरचना
- 15. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अन्य परियोजनाएं।

प्रमाणित प्रति

लोक सूचेना अधिकार विधान सभा सचिवासय

अनुसूची -दो

मॉडल अनुबंध

बोर्ड निम्नलिखित प्रतिमान अनुबंधों के अनुसार परियोजनाओं का क्रियान्वयन कर सकता है:

- 1. निर्माण, पट्टे और स्थानांतरण (BLT)
- 2. स्वयं बनाएं और संचालित (BOO)
- 3. निर्माण और संचालित और स्थानांतरण करें (BOOT)
- 4. निर्माण, संचालन और स्थानांतरण (BOT)
- 5. निर्माण, संचालन और स्थानांतरण (Annuity)
- 6. निर्माण, स्थानांतरण और संचालन (BTO)
- 7. डिजाइन, निर्माण, वित्त संचालन और हस्तांतरण (DBFOT)
- द्विजाति वार्षिकी मॉडल (HAM)
- 9. प्रबंधन करार
- 10. संचालन, रखरखाव और स्थानांतरण (OMT)
- 11. संचालन, रखरखाव और विकास (OMD)
- 12. पुनर्वास संचालन, रखरखाव और स्थानांतरण (ROMT)
- 13. स्वगत पुनर्वास, रखरखाव और संचालन (ROMO)
- 14. सेवा अनुबंध करार
- 15. आपूर्ति, संचालन और हस्तांतरण करार
- 16. राज्य या केंद्र सरकारों द्वारा अनुमोदित कोई अन्य पी०पी०पी० अनुबंध संरचना (पी०पी०पी० सेल, आर्थिक मामलों का विभाग)

प्रकाणित पति लोलेक्स्मूचन अधिकारी भिष्वधान सभा सविवालय उत्तराखण्ड

अनुसूची - तीन

UIIDB द्वारा लगाया जाने वाला शुल्क

UIIDB द्वारा लगाए गए शुल्क में निम्नलिखित शुल्क शामिल होंगे:

- 1. यू०आई०आई०डी०बी० (UIIDB) सफलतापूर्वक परियोजनाओं से प्राप्त कुल आय का (8%) संबंधित क्षेत्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण / विभाग से प्राप्त करेगा जब संबंधित प्रशासकीय विभाग को परियोजनाओं. से प्राप्तियां देयक होगी।
- 2. विनिवेश / मुद्रीकरण परियोजनाओं से प्राप्त प्राप्तियों का (8%) यू०आई०आई०डी०बी० (UIIDB) को देय होगा शेष (92%) राज्य सरकार के एसको खाते में जमा किया जाएगा। इस (92%) धनराशि का निम्नानुसार उपयोग किया जाएगाः
 - राज्य सरकार के दिशा निर्देश के क्रम में पूंजीगत (CAPEX) / अवस्थापना परियोजनाओं में निवेश हेतु
 - राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग को विनिवेश/सम्पति मुद्रिकरण परियोजनाओं के भुगतान
- 3. राज्य सरकार द्वारा बोर्ड द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के आसपास निर्दिष्ट कमान क्षेत्रों में लगाए गए बाहरी विकास शुल्क और आधारिक संरचना विकास शुल्क या विकास प्राधिकरणों द्वारा लगाए गए किसी भी अन्य विकास शुल्क, का (5%) यू०आई०आई०डी०बी० (UIIDB) को देय होगा।
- 4. बोर्ड द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के आसपास निर्दिष्ट कमान क्षेत्रों में और राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित के रूप में स्टांप शुल्क संग्रह का (5%) ।

प्रमाणित प्रति टि लोक सूचना अधिकारी विधान सभा सचिवालय उत्तराखण्ड

Statement of Objectives and Reasons

The development of infrastructure sector projects like expansion of airports, telecom infrastructure, medical colleges, new townships-housing, industrial logistic corridors, tourism related construction requires huge capital investment. At present the Government of India has given special emphasis on developing assets in Public Private Partnership (PPP) mode. The Government of India's policy of increasing private sector participation through PPP has resulted in positive changes in the infrastructure sector with the entry of large number of private sector entrepreneurs.

In view of the limited financial resources in the state of Uttarakhand, it is necessary to attract domestic and international capital investment in the region to meet the capital requirements for the development of basic infrastructure of the state. For this, special focus will be required on promotion of Public Private Partnership (PPP) projects.

Therefore, due to the ever-changing scenario in the field of infrastructural development of the state and due to emergence of new requirements for speeding up development of infrastructure in Uttarakhand State and for development of PPP project it is necessary to constitute Uttarakhand Investment & Infrastructure Development Board (UIIDB) in the interest of state. For establishment of UIIDB Uttarakhand the Uttarakhand Investment & Infrastructure (Development & Regulation) Bill,

2- The proposed Diff of the state.

2- The proposed Bill fulfills the aforesaid objectives.

प्रमाणित प्रात

लोक सूचना अधिकारी विधान सभा सचिवालय (Pushkar Singh Dhami) Chief Minister

The Uttarakhand Investment and Infrastructure (Development and Regulation) Bill, 2023

(Uttarakhand Bill No.....2023)

A Bill

to provide for an enabling and facilitative environment in state of financing, design, construction, maintenance and operation of infrastructure projects also through private sector participation and for matters connected therewith and incidental thereto,

Be it enacted by the legislative assembly of the state of Uttarakhand in the Seventy Four year of republic of India as follows:-

Chapter 1

Preliminary

SHORT TITLE, EXTEND AND COMMENCEMENT

1

- (1) This Act may be called the Uttarakhand Investment and Infrastructure (Development and Regulation) Act, 2023.
- (2) It shall be applicable to whole state of Uttarakhand.
- (3) It shall come into force at once.

DEFINITIONS

- 2 In this Act, unless the context otherwise requires:
 - (1)"Authority" means the Uttarakhand Investment and Infrastructure Regulatory Authority (UIIRA) under Section 14.
 - (2) "Board" means the Uttarakhand Investment and Infrastructure Development Board under Section 4;
 - (3)"Bye-laws" means the bye-laws made by the Board under Section 10;
 - (4) "CCIE" shall mean Conciliation Committee of Independent Experts formed by the Government of Uttarakhand.
 - (5) "Chairperson" means the chairperson of the Authority;
 - (6) "Command Area" for a project means an area influenced by a project directly and where the economic Activity generated is significantly based on the aforementioned project. Such an area is to be notified by the relevant Government body / planning authority, upon UIIDB's request, specifically for any project.
 - (7)"Committee" means a committee and includes Sectoral

प्रमाणित प्रति ्रीक सूवना अधिकारी विधान सभा सविद्यालय उत्तराखण्ड

- Sub-Committee, Project Implementation Sub-Committee or any other Committee called by any other name, constituted by the Board under this Act for the purposes assigned to them;
- (8) "Concession" includes any right or interest granted to a concessionaire in relation to any aspect of a project, as well as any subsidy, subvention, grant or other similar financial incentive granted by the State Government to secure the viability and commercial efficacy of a project;
- (9)"Concession agreement" means any of the contracts executed for the purposes of private participation in a project between a concessionaire and a public agency in terms of this Act, or the rules made there under as per the model specified in Schedule II;
- (10) "Concession Fee" means the sum of money required to be paid by the concessionaire to the Board and / or another government department / agency in consideration of grant of a concession for undertaking a project pursuant to the provisions of this Act and rules made thereunder;
- (11) "Concessionaire" means a person, or Company, Trust, LLP (Body Corporates) who is selected and awarded a concession in terms of this Act or rules made thereunder;
- (12) "Development" includes creation of new facilities, new concepts, projects and / or rehabilitation, improvement, expansion, alteration and replacement of existing facilities;
- (13) "Development Fund" means the Uttarakhand Investment and Infrastructure Development Fund constituted under Section 11;
- (14) "Disinvestment" means a sale of equity or shares held by the State Government or a public body to any person;
- (15) "Feasibility Report" shall mean a report prepared by the board by itself or through its sub-consultants as described in section 29.
- (16) "Fee" means a consideration levied and collected by the Board for provision of services, development of assets, etc. under this Act;
- (17) "Government Department" in the context of this Act shall also mean any Government Company, Government-owned or controlled Corporation, Government Directorate, Local Authority, Public Body, or any other Government-owned

प्रमाणित प्रति ्रीक सूबना अधिकारी विधान सभा सविद्यालय उत्तराखण्ड Government in 2019;

- (29) "Rules" means the rules made by the State Government under Section 43;
- (30) "Schedule" means a schedule appended to this Act;
- (31) "Section" means a section of this Act;
- (32) "Sectoral policy" means a policy of the State government pertaining to a sector;
- (33) "Service provider" means any agency or body other than those constituted under the Act, which provides services to the Board;
- (34) "Special Purpose Vehicle" or "SPV" means a Company, which is created by a Concessionaire to execute a project;
- (35) "State Government" means the Government of the State of Uttarakhand;
- (36) "Tariff" means a toll or charge or any other sum payable by the users of a project to the project developer;
- (37) "UIIDB" shall mean Uttarakhand Investment and Infrastructure Development Board;
- (38) "UIIDF" shall mean Uttarakhand Investment and Infrastructure Development Fund;
- (39) "UIRA" shall mean Uttarakhand Investment and Infrastructure Regulatory Authority;
- (40) "VGF" means viability gap funding and is expressed as a percentage of the overall project cost. It refers to the share of the project cost to be borne by the State government / board to make the project financially viable for the concessionaire.

प्रमाणित प्रति ्रीय लोक सूबना अधिकारी विधान सभा सविवासः उत्तरस्वण्य or controlled body;

- (18) "Infrastructure sector" means an infrastructure sector specified in Schedule I and shall include such other sectors as may be notified by the State Government from time to time;
- (19) "IRR" means the calculated annual Internal Rate of Return of a project. IRR takes into account all the costs and revenues of the project;
- (20) "Milestone" means a schedule or chart indicating the specified time within which a work is to be completed;
- (21) "Notification" means a notification published in the Official Gazette of the State of Uttarakhand;
- (22) "Prescribed" means prescribed by the rules made under this Act;
- (23) "Private participation" means the participation in development or maintenance or operation of projects by any person other than the State Government or State government department or State government agency or State government body as may be permitted by the Board from time to time;
- (24) "Project" means a project in any sectors, which may involve development or maintenance or operation of assets / facilities / service provision through private participation or financial sources other than those provided by State Government;
- (25) "Project Proceeds" means all income to the State Government Department or any State Government Agency by a project facilitated by the Board by way of Concession Fee, etc.;
- (26) "Public body" means a body either established by State Government or working under the control of the State Government;
- (27) "Public Agency" or "Government Agency" means a Government Department, Government Company, Government-owned or controlled Corporation, Local Authority or a Public Body, which own, govern or control projects in infrastructure sectors;
- (28) "PPP Policy 2019" means to the Uttarakhand Public Private Partnership Policy adopted by the State

प्रमाणित प्रति े लोक सूचना अधिकारी विवान सभा संविद्यालय उत्तराखण्ड

Chapter-2

PRIVATE PARTICIPATION IN PROJECTS

PRIVATE PARTICIPATION

3 (1) This Act would apply to all projects including investment and infrastructure projects undertaken by UIIDB. Additionally, this Act would apply for disinvestment and monetization projects of the State government:

Provided that UIIDB shall take up projects with a minimum capital cost of INR 25 (Twenty-Five) Crores. The threshold may be revised by the cabinet from time to time:

Provided also that projects executed via the Board and funded through the Fund would provide a minimum IRR to State Government of [RBI repo rate + 4%] after factoring any VGF or other support as provided under this Act. The threshold may be revised by the cabinet from time to time:

Provided further also that in case of projects that require VGF support, a maximum of 40% of the project cost may be paid as VGF from the Fund. A project requiring higher than 40% VGF may be taken up only if the additional VGF required (above 40% of the project cost) is provided through budgetary support / other means by the State Government The threshold may be revised by the cabinet from time to time.

प्रमाणित प्रति ्रीट्र लोक सूचना अधिकारी विधान सभा सविवासय उत्तराखण्ड

Chapter-3

UTTARAKHAND INVESTMENT AND INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT BOARD (UIIDB)

ESTABLISHMENT OF THE BOARD

- (1) With effect from such date, as the State Government may by notification appoint, there shall be established a Board for the purposes of this Act to be called the Uttarakhand Investment and Infrastructure Development Board.
- (2) The Board established under sub-section (1), shall consist of a Chairman and other members as outlined in the table below

Composition of the Board

Composition of the soula	
Chief Minister	Chairman
Finance Minister	Member
Planning Minister	Member
Ministers of the concerned Administrative Department(s)	Special Invitee(s)
Chief Secretary	Member
Infrastructure Development Commissioner	Member
ACS / PS / Secretary, Planning	Member
ACS / PS / Secretary, Finance	Member
ACS / PS / Secretary, Industries	Member
ACS / PS / Secretary, Urban Development	Member
Principal Secretary / Secretary to the Chief Minister (Nominated by the CM)	Member
Managing Director of the Board	Member Secretary
Administrative Secretaries of the concerned Administrative Department(s)	Special Invitee(s)
Any other person as desired	Special Invitee(s)

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी विधान सभा सविदालय

उत्तराखण्ड

by the board

- (3) The Board shall be housed under the Planning department of the Government of Uttarakhand.
- (4) The Board shall have a minimum quorum of one-third from among the Chairman and the members.
- (5) The Chairman may appoint a Vice Chairman from among the members of the Board. The Vice Chairman shall chair the Board meetings in the absence of the Chairman.
- (6) The Board would constitute an Executive Committee (EC) that would aid and assist the Board in the discharge of its functions.

The Executive Committee shall consist of the following, namely:

Composition of the Executive Committee (EC)

	- A compared to the
Chief Secretary	Chairman
Infrastructure Development Commissioner	Member
ACS / PS / Secretary, Planning	Member
ACS / PS / Secretary, Finance	Member
ACS / PS / Secretary, Industries	Member
ACS / PS / Secretary, Urban Development	Member
Principal Secretary / Secretary to the Chief Minister (Nominated by the CM)	Member
Managing Director of the Board	Member Secretary
Administrative Secretaries of the concerned Administrative Department(s)	Special Invitee(s)
Any other person as desired	Special Invitee(s)

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी विधान सभा सविवालय उत्तराखणंड

by the board and / or EC

- (7) The Executive Committee shall oversee the day-to-day management of the board and its projects.
- (8) The EC shall have a minimum quorum of one-third from among the Chairman and the members.
- (9) In addition to the above, the Board may from time to time appoint committees including Sectoral Sub-Committees and Project Implementation Sub-Committees under Section 7, as may be considered necessary for carrying out the purposes of this Act.
- (10) The Board / EC shall meet at such time, place and frequency and shall observe such procedure to transact its business in the meetings as may be specified by the bye-laws.

VACANCIES NOT TO INVALIDATE PROCEEDINGS OF THE BOARD

No Act or proceeding of the Board shall be invalid merely by reason of:

- any vacancy in, or any defect in the constitution of the Board; or
- (2) any defect in the appointment of a person Acting as a Chairman, or member of the Board.

FUNCTIONS AND POWERS OF THE BOARD

- (1) The Board shall be the apex body in the State for promotion and development of PPP in infrastructure sectors and projects, and for promotion and development of private sector investments.
- (2) The Board shall:
 - a) Act as a nodal agency to co-ordinate all efforts of the State Government regarding the development of infrastructure projects involving PPP / private participation and funding from sources other than those provided by State budget and shall:
 - i. Identify / originate / evaluate previously identified and / or delegated projects (infrastructure and other sectors) and new concepts for private participation;
 - ii. For identified projects, manage and execute the entire process, internally or with the help of external advisor(s), of creating the project, ascertaining viability, determining transaction structure including any viability gap funding (VGF), engaging relevant Administrative Department of the State Government for advice, inputs and approval wherever required, marketing the project

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी विधान सभा सविद्याला

- to ensure Active participation, bringing on board private investor(s), monitoring project execution, etc.;
- iii. Identify bottlenecks in the infrastructure sectors and recommend to the State Government, policy and project initiatives to rectify the same;
- iv. Select, prioritise and determine sequencing of PPP projects in infrastructure;
- Promote competitiveness and private participation through PPP while developing projects while ensuring adherence to best public policy principles;
- vi. Formulate (and help other departments in formulating) clear and transparent policies related to PPP in the infrastructure sectors so as to ensure that project risks are clearly identified and allocated between stakeholders;
- vii. Identification of best end use of State Government land assets; and
- viii. Assist the State Government in disinvestment/ monetization / redevelopment of existing State Government assets including land.
- Prepare internally or through external consultants or service providers engaged for the purpose, all necessary documents including the bid or tender documents, draft contracts including the various contractual arrangements and incentives to be offered by the State Government for PPP and investment projects;
- c) Create a fund, to be known as Uttarakhand investment and Infrastructure Development Fund (the "Fund" or "UIIDF"), as provided under section 11, which shall vest in the Board;
- d) Manage and administer the Fund;
- e) Assist concessionaires and other departments (and seek assistance) in obtaining statutory and other approvals for PPP and investment projects;
- f) Recommend the grant of concessions to concessionaires in accordance with the provisions of this Act, and the rules made there under.
- g) Determine / Assist in determining the level and structuring of investments of State Government and other

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी विधान सभा संविदालय departments / Government agencies into infrastructure projects with private participation including holding equity / sweat equity investments, etc;

- Act as a think-tank / advisor to the State Government on key policy matters related to investment and infrastructure promotion;
- i) Create special purpose vehicles for implementing infrastructure projects / projects in terms of Section 35 in co-ordination with the State Government or other Government departments;
- j) Undertake investment promotion Activities for the State Government in designated sectors; and
- k) Structure and oversee legal framework required to promote private investments and Public Private Participation ("PPP") projects in the State;
- (3) In order to carry out its functions, consistent with the provisions of this Act, the Board shall have the powers to do all or any of the following, namely:
 - Acquire, hold, develop or construct such land and property, both movable and immovable, as the Board may deem necessary for the performance of any of its Activities related to the development of PPP projects in infrastructure / private investment projects;
 - b) Advise or recommend to the State Government acquisition of land under the Land Acquisition Act, 1894 and Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, whichever is relevant, for the performance of any of its Activities;
 - c) Lease, exchange, or otherwise make allotments of the property referred to in section 6(3)(a). to concessionaire and to modify or rescind allotments, including the right and power to evict the allottees concerned on breach of any of the terms or conditions of such allotment;
 - d) Borrow and raise money in such manner as the Board may think fit and to repay any money borrowed or raised;
 - e) Constitute a one or more Sectoral Sub-Committee(s) or

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी विधान सभा सचिवाराय Project Implementation Sub-Committee(s);

- f) Engage suitable service providers or advisors or consultants to advise the Board for the efficient discharge of its functions;
- g) Enter into and perform all such contracts as it may think necessary or expedient for performing any of its functions; and
- h) Do such other things and perform such other acts as it may think necessary or expedient for the proper conduct of its functions and for carrying into effect the purposes of this Act.
- (4) The Board and / or projects facilitated by the Board shall not be covered under the Uttarakhand Public Private Partnership Policy 2019 (or any future revisions or amendments to the same) and nor shall they be covered under the rules / procedures of the Public Investment Board (PIB).

SECTORAL SUB-COMMITTEE AND PROJECT IMPLEMENTATION SUB-COMMITTEE

- (1) The board may constitute Sectoral Sub-Committee(s) or Project Implementation Sub-Committee(s) from time to time to assist the Board in carrying out its functions, as may be considered necessary for the purposes of the Act.
 - (2) For the effective association, consultation, and participation of other Government departments in the decision making of the Board, the Sectoral Sub-Committee(s) or Project Implementation Sub-Committee(s) shall comprise of members of representatives from relevant Government departments and / or relevant Government agencies along with duly on boarded service providers or advisors or consultants.
 - (3) The constitution, functioning and powers of the Sectoral Sub-Committee or Project Implementation Sub-Committee shall be as per the bye-laws made by the Board.
 - (4) The Sectoral Sub-Committee(s), the Project Implementation Committee(s) or any other Committee(s) called by any other name, constituted by the Board / EC under this Act, and shall carry the functions delegated to them by the Board and / or the EC.
 - (5) Each Sectoral Sub-Committee shall be concerned, in particular, with:
 - a) Formulation, review, change and implementation of the sectoral policies for private participation
 - b) Conduct of feasibility stud(ies) and preparation of feasibility

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी विधान सभा सचिवालय उत्तराखण्ड report(s); and

- Formulating the sectoral packages of financial incentives and concessions.
- (6) Each Project Implementation Sub-Committee shall be concerned, in particular, with:
 - a) Providing proposals to the Board or any other Committee as may be specified in this behalf by the Board for taking decision on project identification and priority;
 - b) Finalising the scope and structuring of projects;
 - c) Finalising the pre-bidding and bidding procedures;
 - d) Finalising the selection of concessionaire and recommending grant of concession; and
 - e) Implementing, supervising and monitoring of projects.

FINANCE, ACCOUNTS AND AUDIT OF THE BOARD

- (1) Estimates of annual income and expenditure of the Board for the ensuing financial year shall be prepared by the Member Secretary of the Board, as per the rules, and shall be submitted to the Board for its approval.
 - (2) An annual Statement of accrued income and expenditure of the Board shall be prepared by the Member Secretary and after obtaining approval of the Board, the same shall be sent to the State Government for information, within a period of three months from the date of closure of the concerned financial year.
 - (3) The custody, application and operation of the UIID Fund, including borrowing and investment shall be carried out by the Board in accordance with the bye-laws.
 - (4) The accounts of the Board shall be audited as per the rules and procedures laid by the Government of Uttarakhand.

OFFICERS AND EMPLOYEES OF THE BOARD

- (1) The Board shall have a Managing Director to be appointed by the State Government to lead the Board in its day-to-day functioning.
 - (2) The Board may, with the approval of the State Government, create such other posts and appoint such officers and other employees thereon, as it may consider necessary for the efficient discharge of its functions.
 - (3) The Board may take on deputation officers from other departments of the State government.
 - (4) The conditions of service of officers and other employees



referred to in sub-sections (1) and (2) and their functions and duties shall be such, as may be specified in the bye-laws.

- (5) The Managing Director shall exercise the powers of supervision over all the officers and other employees of the Board.
- (6) A contract, after it is sanctioned by the competent authority, shall be signed by the Managing Director, on behalf of the Board provided that where the sanctioning authority of any contract or class of contracts is the Managing Director, such contracts may be signed on behalf of the Board by the Managing Director himself or by any other officer duly authorized by him in this behalf.

POWERS OF THE BOARD TO MAKE BYE-LAWS

- 10 (1) The Board may make bye-laws for the proper performance of its functions under this Act.
 - (2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such bye-laws may provide for the following matters, namely:
 - a) The constitution, functioning and powers of the Sectoral Sub-Committee(s), Project Implementation Sub-Committee(s) under sub-sections (1) and (3) of Section 7;
 - b) The custody, application and operation of the UIIDF including, borrowing and investment under sub-section (3) of section 8;
 - c) The duties of the Managing Director, officers and employees of the Board and their conditions of service under section 9;
 - d) Conduct of the meetings of the Board and Executive Committee, the time and place at which such meetings shall be held, the procedure to be followed in the transaction of business under sub-section (9) of section 4; and
 - e) Any other matters in relation to which bye-laws are required to be or may be made.

प्रमाणित प्रति लोक सूचना अधिकारी विधान सभा सविवालय उत्तराखण्ड

Chapter 4

UTTARAKHAND INVESTMENT AND INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FUND (UIIDF) AND CORPUS, LEVY OF FEE, DISBURSALS, ETC.

CONSTITUTION OF 11 THE FUND

- (1) The State Government shall constitute a fund with an initial corpus of INR [100] Cr. to be known as the Uttarakhand Investment and Infrastructure Development Fund (the "Fund" or "Development Fund") which shall vest in the Board.
- (2) The Fee levied and collected under this Act, shall be credited to the Fund. Any other grant from the Central / State Government, local authorities and any of the authorities to UIIDB shall also be credited to the Fund

SOURCES OF THE FUND

12

- (1) With effect from the date of coming into force of this Act and the formation of the Fund, and subject to the provisions of this Chapter, UIIDB shall levy and receive Fee in UIIDF as outlined in Schedule III.
- (2) The Fee due to UIIDB under this Act, shall be collected by the respective administrative department collecting the Project Proceeds and deposited by the respective administrative department in the Fund, within a period of one month from the date of its collection.
- (3) The Fee levied by UIIDB shall include any penalties levied on the Project Proceeds as though the Project Proceeds is directly payable to UIIDB.
- (4) Apart from the Fee levied by the Board, the Fund may have other income sources as approved by the State Cabinet from time to time and added to Schedule III or this Section 12, as the case may be.
- (5) In case of assets owned by UIIDB, all proceeds from such assets including from development or monetization of such assets shall be credited to the Fund.
- (6) All proceeds from cash management operations in the UIIDF shall be credited to the Fund.

DEVELOPMENT FUND UTILIZATION AND DISTRIBUTION

13

- (1) The Development Fund shall be utilized for the following Activities:
 - a) To provide equity, viability gap funding support to projects as approved by the Board;
 - b) To provide concessional debt to projects as approved by the Board;

लोक सूचना अधिकारी विधान सभा सदिवालय उत्तराखण्ड

- c) To purchase assets / land for development of projects identified from time to time;
- d) For project development costs such as cost of consultants / advisors and other experts, creation of collateral, promotional Activities etc. for UIIDB, for furthering projects facilitated by the Board and carrying out its functions under the provisions of this Act;
- e) For all operational expenditures of the Board including but not limited to payment salaries, expenditure of supplies etc;

Provided that non-project related administrative costs of the Board including salaries of employees, cost of office and supplies etc. shall not exceed INR 10 Cr (inflation adjustment every year with CPI rate from the date of notification of the Ordinance) in the first three years of formation of Board and subsequently should not exceed INR 10 Cr (inflation adjustment every year with CPI rate from the date of notification of the Ordinance) or 50% of the income of the Board in a year, whichever is lower.

- f) To undertake infrastructure projects on EPC as approved by the Board; and
- g) And undertake any other / additional Activities as outlined in section 6 and as approved by the State Cabinet from time to time.
- (2) On the direction of State Cabinet UIIDF, shall distribute dividends to the State Government if the corpus of the Fund exceeds INR [500] (Five Hundred) crores. (Dividends in any particular year shall be equal to [Repo rate + 4%] multiplied by [Corpus of the fund in excess of INR 500 Cr]).
- (3) Further, in case the corpus of the Fund reaches a value of more than 0.5% of the State's GDP in the previous financial year, the Fund would transfer the additional amount (over and above 0.5% of State's GDP in the previous financial year) to the State treasury.



Chapter 5

UTTARAKHAND INVESTMENT AND INFRASTRUCTURE REGULATORY AUTHORITY (UIIRA)

ESTABLISHMENT OF THE AUTHORITY

- 14 (1) The State Government may, by notification, establish for the purpose of this Act, an authority to be called the Uttarakhand Investment and Infrastructure Regulatory Authority ("UIIRA" or the "Authority").
 - (2) The Authority shall be a body Corporate known by the aforesaid name having perpetual succession and a common seal with power, subject to the provisions of this Act.
 - (3) The Head Office of the Authority shall be at Dehradun or at such place, as the State Government may notify from time to time.
 - (4) Prior to its formation of the authority, any disputes and or appeals that are to be referred to the Authority as per this Act shall be referred to the Conciliation Committee of Independent Experts (CCIE), Uttarakhand, which for that period, in the manner prescribed under the Act, shall perform the same functions, roles of authority.

COMPOSITION OF THE AUTHORITY

- 15 (1) The Authority shall consist of a Chairperson and two other Members.
 - (2) The Chairperson shall be a retired Judge of the Supreme Court or a retired Chief Justice of a High Court or a retired Judge of a High Court.
 - (3) The members shall possess the qualifications specified in sub-section (5).
 - (4) The Chairperson or members shall be appointed by the State Government by notification in the Official Gazette.
 - (5) The members appointed under sub-section (1) above, shall have the following qualifications and experience in the fields of Management of Infrastructure Sectors or Infrastructure Projects, Law, Finance, Economics or Commerce:
 - a) Member (Infrastructure) Qualifications and experience in the field of infrastructure: Relevant professional qualifications and a minimum experience of twenty years of working after acquiring the said qualifications, in a

प्रमाणित प्रति लोक सूचना अधिकार विधान सभा सविचाराय उत्तराखण्ड Government department or public sector organisation or in a private sector organisation, having annual turnover of five hundred crore rupees or more in any infrastructure sector in respect of conceptualizing, appraisal, development, financing or implementation of infrastructure projects;

- b) Member (Finance) Qualifications and experience in the field of Finance, Economics or Commerce:
 - i.Qualifications-Membership of the Institute of Chartered Accountants of India; or Post Graduation in Economics, Commerce, Management or Engineering.
 - ii. Experience: Twenty years' experience of working after acquiring the said qualifications in a Government department or public sector organisation or in a private sector organisation having annual turnover of five hundred crore rupees or more; or Twenty years' teaching experience in a university or a college, recognised by the University Grants Commission or an institute recognised by the All India Council of Technical Education.
- (6) Before appointing any person to the Authority as a Chairperson or member, as the case may be, the State Government shall satisfy itself that the person does not have any financial or other interest, which may affect prejudicially his functioning as a Chairperson or member of the Authority.

FUNCTIONS OF THE AUTHORITY

- 16 (1) The Authority shall discharge the following functions, namely:
 - a) To modify or vary the Tariff during the term of the concessions granted by the Board for reasons unforeseeable during the award of the concession; and based on mutual agreement between the Board and the Concessionaire.
 - b) To adjudicate upon appeal referred to it against an order passed by the Board or the State Government related to the approval of a project or the award of a concession; and
 - c) To adjudicate upon disputes between Concessionaires / Developers / Operators of projects and the State Government and / or its departments and / or the Board;



AUTHORITY TO HAVE POWERS OF A CIVIL COURT

- 17 (1) The Authority, in conduct of all proceedings before it and in exercise of its powers under this Act, shall be guided by the principles of natural justice.
 - (2) The Authority may adjudicate upon disputes that arise between any two parties involved in PPP / private investment projects (private player(s), contractor(s), Government entities / SPVs / departments / agencies / board / PSU / corporation / society, etc.)
 - (3) The Authority shall have, the same powers as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908, in respect of:
 - a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him under oath;
 - b) requiring the discovery and production of documents;
 - c) receiving evidence on affidavits;
 - d) issuing commissions for the examination of witnesses or documents;
 - e) reviewing its decisions;
 - f) dismissing an application for default or deciding it exparte, setting aside any order of dismissal or any application for default or any order passed by it exparte; and
 - g) any other matters as the Authority may specify by regulations.

PROCEEDINGS BEFORE THE AUTHORITY SHALL BE DEEMED TO BE JUDICIAL PROCEEDINGS

- (1) All proceedings before the Authority shall be deemed to be judicial proceedings within the meaning of sections 193, 219 and 228 of the Indian Penal Code, 1860, and the Authority shall be deemed to be a 'Civil Court' for the purposes of section 195 and Chapter XXVI of the Code of Criminal Procedure, 1973.
 - (2) Every proceeding before the Authority shall be completed within a period of ninety days of its commencement, except where the time-period is extended by the Authority for reasons to be recorded in writing.

POWER OF AUTHORITY TO MAKE REGULATIONS

- 19 (1) The Authority may make regulations for the proper performance of its functions under this Act.
 - (2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power and of matters specifically provided for in this Act, such regulations may provide for all or any of

tiv .

लोक सूचना अधिकारी विधान सभा सचिवालय उत्तराखण्ड

प्रमाणित प्रति

the following matters, namely:

- a) Specifying procedure to transact business in the meetings under section 23.
- Determining of salaries, allowances and other conditions of service of the officers and other employees of the Authority under section 25; and
- c) Fixing of sums received by the Authority under clause (c) of sub-section (1) of section 26.

POWERS OF CHAIRPERSON

20 The Chairperson shall have powers of general superintendence and directions in the conduct of the affairs of the Authority. The Chairperson shall, preside over the meetings of the Authority as well as exercise and discharge the powers and functions of the Authority vested in him in accordance with regulations.

TERM OF OFFICE AND CONDITIONS OF SERVICE OF THE CHAIRPERSONA ND OTHER MEMBERS

- 21 (1) The Chairperson shall hold office for a term of five years from the date of appointment, or until he attains the age of seventy years, whichever is earlier.
 - (2) A member shall hold office for a term of five years from the date of appointment or the date on which he attains the age of sixty-eight years, whichever is earlier.
 - (3) If a person holding an office is appointed as a Chairperson or a member, as the case may be, he shall have to resign from that office before joining the Authority.
 - (4) The salary and allowances payable to, and the other terms and conditions of the Chairperson and other members shall be such, as may be prescribed and the same shall not be varied to their disadvantage during their tenure.
 - (5) Notwithstanding anything contained in sub-sections (1), (2) and (3), the Chairperson or a member, as the case may be, may:
 - a) relinquish his office by giving a written notice of at least three calendar months to the State Government; or
 - **b)** be removed from his office in accordance with the provisions of Section 22.

REMOVAL AND SUSPENSION OF THE CHAIRPERSON AND MEMBER FROM OFFICE 22 (1) The State Government may remove the Chairperson or any member from office after complying with the provisions of sub-section (2), if he has:

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी विधान सभा सदिवालय उत्तराखण्ड

IN CERTAIN CIRCUMSTANCES

- a) been adjudged insolvent; or
- b) been convicted of an contravention which, in the opinion of the State Government, involves moral turpitude; or
- c) become physically or mentally incapable; or
- acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions in any of the said capacities; or
- e) so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest
- (2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the Chairperson or member, as the case may be, shall not be removed from his office unless:
 - a) a reference is made by the State Government to the Chief Justice of the High Court of Uttarakhand seeking an enquiry and recommendation on the proposed removal of the Chairperson or member along with the grounds for the removal and material supporting such proposal;
 - b) the reference is duly enquired into by an inquiry committee headed by a sitting or retired High Court Judge or any other person appointed by the Chief Justice of the High Court of Uttarakhand; and
 - the enquiry committee makes recommendation that the Chairperson or member ought to be removed on such ground or grounds.
- (3) The State Government may suspend the Chairperson or any member(s) of the Authority in respect of whom a reference has been made to the Chief Justice under subsection (2), until any recommendation is made by the inquiry committee appointed by the Chief Justice.

MEETINGS

- 23 (1) The Authority shall meet at such times and places and shall follow such procedure to transact its business in the meetings, as may be specified by regulations.
 - (2) The Chairperson or, if for any reason he is unable to attend a meeting of the Authority, any other member chosen by the members present from amongst themselves at the meeting, shall preside over the meeting.

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी दिशन समा सदिवासर उत्तराख्य (3) All questions which come up before any meeting shall be decided by a majority vote of the members present and voting, and in the event of an equality of votes, the person presiding, shall have a second or casting vote.

VACANCIES NOT TO INVALIDATE PROCEEDINGS OF THE AUTHORITY

- 24 No Action or proceeding of the Authority shall be invalid merely by reason of:
 - (1) any vacancy in, or any defect in the constitution of the Authority; or
 - (2) any defect in the appointment of a person Acting as a member of the Authority; or

OFFICERS AND OTHER EMPLOYEES OF AUTHORITY

- 25 (1) The Authority may appoint officers and such other employees, as it considers necessary for the efficient discharge of its functions under this Act.
 - (2) The salary and allowances payable to and the other conditions of service of the officers and employees of the Authority appointed under sub-section (1), shall be such as may be determined by regulations

FINANCE, ACCOUNTS AND AUDIT

- 26 (1) After the Authority is established by the State Government, the Authority shall open an account in any nationalized bank, or a bank authorized by the Reserve Bank of India to carry out the banking business. The following may be credited to the Account, namely
 - a) Contribution received from the State Government
 - b) Grants received by the Authority; and
 - c) Any other sum received by the Authority from any sources including fees fixed by the Authority under the regulations for proceedings before the Authority.
 - (2) The Account shall vest in and be administered by the Authority, which shall apply the same to meet the various expenses of the Authority, including the salaries, allowances and administrative expenses defrayed for purposes authorised by this Act.
 - (3) The Authority shall cause its books and accounts to be maintained, and its annual accounts to be prepared in the form prescribed by the State Government in consultation with the Accountant General, Uttarakhand.
 - (4) The annual accounts of the Authority shall be audited by the Accountant General, Uttarakhand and any expenditure

प्रमाणित प्रति 2 ' लोक सूवना अधिकारी विधान सभा स्विद्यालय उत्तराखण्ड

21

incurred in connection with such audit, shall be payable by the Authority.

- (5) The Accountant General, Uttarakhand and any other person appointed by him in connection with the audit of the Accounts of the Authority, shall have the same rights and privileges as the Accountant General, Uttarakhand generally has in connection with the audit of the State Government accounts and, in particular, the rights to demand production of the relevant books, accounts, supporting vouchers and other documents and papers of the Authority, for inspection.
- (6)The accounts of Authority as certified by the Accountant General, Uttarakhand or any other person appointed by him in this behalf along with the audit report with respect thereto, shall be forwarded annually to the State Government, which shall cause the same to be laid before the State Legislative Assembly

FURNISHING OF RETURNS 27 TO THE LEGISLATIVE ASSEMBLY

- (1)The Authority shall prepare an annual report every year giving a summary of its Activities done during the previous year in such form and at such place, as may be prescribed and copies of the report shall be forwarded to the State Government for laying them before the Legislative Assembly.
 - (2) The Authority shall furnish to the State Legislative Assembly, at such time and in such form and manner as may be prescribed or required by the State Legislative Assembly, the returns, Statements and particulars in regard to any proposed or existing program for the promotion and development of the infrastructure sector.

प्रमाणित प्रति ्रिट्ट लोक स्वना अधिकारी विधान समा जोदान उत्स्वापन

Chapter - 6

PROJECT IDENTIFICATION & CONCESSIONAIRE SELECTION

PROJECT IDENTIFICATION AND PRIORITIZATION

- (1) The Board shall be the nodal agency to coordinate all efforts of the State Government in the identification and prioritization of PPP and other investment projects.
 - (2) The Board shall identify, itself, or as directed or delegated by the State Government, projects that are to be developed and / or managed and / or operated in the State through PPP and / or private participation.
 - (3) Upon receipt of the projects referred to in sub-section (2), the Board shall decide as to whether a public private partnership (PPP) project, is to be executed completely on private participation basis and / or partly / fully out of the Fund. Thereafter the Board shall:
 - a) appoint consultant / advisor / transaction advisor for feasibility and other studies / reports / assistance required to take the project forward;
 - assess project viability through formal reports and industry interactions;
 - finalize the structure and other parameters for the projects;
 - d) seek appropriate Government and respective department approvals;
 - e) notify project inviting bids or placement of request for proposal;
 - f) conduct pre-bid processes:
 - g) conduct evaluation of bids;
 - conduct negotiations and recommend the grant of Concession by the Board; and
 - i) conduct post-award oversight on behalf of the respective department.
 - (4) Upon directions of the State Government, the Board may take up monetization and divestment projects.

FEASIBILITY REPORT

29 Upon identification of the project to be developed under

प्रमाणित प्रति <u></u> लोक सूबना अधिकारी विधान सभा सिंद्यालस उन्हारकार section 28, the Board shall direct the concerned Sectoral Sub-Committee(s) to carry out themselves or through external service providers or consultants, a feasibility study and to prepare and submit the feasibility report within a reasonable period as decided by the Board.

The feasibility report shall ascertain the viability of the project, after undertaking a cost and revenue analysis, for the board / State Government / Government bodies and also for the private sector developer / investor / operator in the context of the proposed development model / PPP structure. The feasibility report shall confirm that the project complies with the boundary conditions defined generally in this Act and in section 3. specifically. The feasibility report shall also ascertain the VGF requirements of the project, if any, based upon the gap between financial and economic viability of the project.


PUBLIC BIDDING FOR THE 3 PROJECT

- (1) Upon finalisation of the scope and structure of the project, the Board shall forthwith cause to be published for wide publicity, in at least two national level newspapers out of which, one shall be a financial or business newspaper; and in one local newspaper, a notice inviting all interested parties to participate in a competitive public bidding.
- (2) The Board shall be responsible for all aspects of prebidding and bidding processes, including:
 - a) fixing pre-qualification criteria on the basis of the clearly identifiable parameters known to Potential bidders, Investors, Contractors and the General Public;
 - b) arranging pre-bid conferences and bid evaluation conferences with the prospective bidders incl. contractors or investors.
- c) issuing clear, comprehensive and fair instructions to bidders, which establish the rules of bidding and shall include all relevant information.
- d) preparing (or getting prepared) the bid or tender documents, which shall include the following, namely:

i.instructions to bidders;

 ii.pre-qualification or qualification parameters, both technical (indicating experience, specific norms, design and performance standards) and financial;

lii.draft Concession Agreement or any other appropriate



Agreement, clearly defining the basic relationship between the parties with their inter-se rights and responsibilities;

iv.bid form; and

v.any other documents, deemed necessary.

- (3) The instructions to the bidders relating to the bidding shall be clear, comprehensive and fair and shall, as far as necessary and practicable, include the following information, namely:
 - a) general description and objectives of the project;
 - b) basic contractual arrangement under which the implementation of the project shall be undertaken;
 - c) bid submission, procedures and requirements;
 - d) bid and bid security validity period;
 - e) binding milestones;
 - f) method and criteria for the technical and financial evaluation of the Bids;
 - g) Tariff policy, formula and factors to be used for the charge, recovery and appropriation of tolls or rentals by the concessionaire;
 - h) key performance indicators;
 - i) types of defaults and resolution of the same;
 - j) events of termination and associated termination payments;
 - k) requirements of concerned regulatory bodies, if any;
 - monetary rules and regulations governing foreign exchange remittances, if relevant;
 - m) revenue sharing arrangements, if any; and
 - n) expected commissioning date.
- (4) Minimum design and performance standards or specifications shall be clearly defined and non-conformity with any of these minimum requirements shall render the bids as non-responsive.
- (5) Financial parameters shall also be described, which amongst others, shall include, as far as necessary and practicable:
 - a) maximum period of project construction;
 - b) fixed term for project operation and collection of tolls or tariffs or rentals or charges in respect of models of contracts specified in Schedule II;
 - c) The draft Concession Agreement shall clearly define the basic and legal relationship between the parties as well



as the rights and responsibilities of the parties involved. Where applicable, the following matters, among others, shall be included:

- d) bonds, guarantees, insurance, damages;
- e) warranties, indemnities, limitation of liability;
- f) schedule and amount of milestone bonding;
- g) relevant price index to be used;
- h) force majeure and its consequences;
- effect of changes in circumstances, which may be brought about by, among others, the enactment of new laws or regulations or the change in existing government policies which shall materially affect the financial viability of the project;
- j) contract termination and combination;
- k) the governing laws, manner and procedure for the resolution of disputes including partnering, conciliation, arbitration;
- project monitoring mechanisms including provisions for independent quality control consultants and dispute review experts on a standing basis; and

m)taxes and duties.

PRE-BID OR PRE-QUALIFICATION STAGE

- 31 (1) Any person, who fulfils the qualification criteria, may respond to the notice inviting tenders or proposals, subject to the prevalent laws and policies laid down by the Board. The expression 'person' shall include natural and juristic persons, as permissible by policies of the Board, whether of Indian or foreign origin.
 - (2) If the Board chooses to have a two-stage process, then the prospective bidders shall be required to prepare and submit their respective pre-qualification documents within the specified period.
 - (3) Amongst others, the following may be specified by the Board, as the pre-qualification requirements, namely:
 - a) legal requirements.
 - b) technical qualifications i.e., the applicant must possess adequate relevant experience in terms of specified requirements for the project or sector in question, the applicant should not have committed a material breach in any previous Concession Agreement, and other qualifications as the Board may deem fit for a particular project; and

प्रमाणित प्रति 2 लोक सूचना अधिकारी विधान सभा सविकार उत्तरसम्बद्ध

- c) financial qualification i.e., the applicant must show the capability to sustain the financing requirements of the project, which may be measured in terms of proof of the ability of the applicant to provide a minimum amount of equity to the project and letter of good standing from the bank.
- (4) On the basis of the pre-qualification proposal received, the Board shall mark the pre-qualification documents of each prospective applicant / proposer as either pre-qualified or pre-disqualified, as the case may be, within a specified period.
- 32 (1) The Board shall make available the related bid documents to all pre-qualified bidders within the specified period to prepare and submit their respective bids.
 - (2) The bids may be submitted, as determine by UIIDB including online and/or offline in two envelopes i.e., one containing technical proposal and the other containing financial proposal.
 - (3) The required bid security, if any, shall be valid for the specified period, but in no case shall it exceed one hundred and twenty days following the opening of the bids, unless specifically decided by the Board for a particular project.
 - (4) The evaluation of bids shall be undertaken in two stages in terms of the specified procedure and period.
 - (5) The first stage of evaluation shall involve the assessment of the technical proposal regarding technical, operational and environmental viability of the proposal as contained in the bidder's first envelopes vis-à-vis the specified requirements and criteria or minimum standards and the basic parameters specified in the bidding documents.
 - (6) Only those bidders, who have not been disqualified at the first stage of evaluation, shall be eligible to participate in the second stage of evaluation. The second stage of evaluation shall involve assessment in comparison of the financial proposals of the qualified bidders based on the criteria and parameters specified by the Board in this behalf. Such criteria and parameters, in the case of projects without private participation, may provide for clubbing of technical and financial scores for the purposes of determining the bidder eligible for award of work.

BIDDING STAGE

- (7) Bidding process adopted by the Board may include: Least / lowest Cost, highest bid, QCBS (Quality cum Cost Based Selection), auction, reverse auction, any other permissible mechanism set up by the Central Government or the State Government.
- (8) The different types of contracts to be adopted by the Board, in terms of structuring a project, have been outlined in Schedule II. Apart from these, the Board may consider other contract types adopted by Central or State Government.

GRANT OF A CONCESSION

- **33 (1)** The concession shall be granted by the board or any other Government department / body or jointly to a bidder who:
 - a) satisfies the stipulated financial, technical, organizational and legal standards; and
 - b) whose bid is the lowest / is in most favourable terms for the project, based on the present value of its proposed tolls, rentals, charges and period of concession over a fixed term for the project to be constructed, rehabilitated, operated and maintained as per the stipulated minimum design and performance standards, plans and specifications.
 - (2) The purpose of the financial package governing any sector or the concessions to be granted for any project shall be to ensure that the same is financially viable and bankable to attract maximum private investment. The board may have to make substantial investments or grant substantial concessions to make a project viable the same shall however be governed by appropriate directions of Central and State Government.
 - (3) Immediately after the completion of the second stage evaluation, a decision on whether or not to award the contract shall be taken by the Board.
 - (4) If the Board takes a decision to award the contract, the Board shall issue to the proposed awardee, the notice of award immediately after such decision.
 - (5) The notice of award shall indicate, amongst others, the time within which the proposed awardee shall submit the specified performance security, proof of equity contribution, financing resources, and any other requirements specified in tender. In the case of a joint venture or consortium, the



388

agreement indicating that the members are jointly and severally responsible for the obligations of the Concessionaire under the contract.

- (6) The successful bidder shall be granted the concession for the development and / or operation and / or maintenance of the project, including the right to collect the specified tolls, tariffs, rentals and charges, etc.
- (7) Withdrawal of any member of a joint venture bidder prior to the Actual award or implementation of the project, can be a ground for cancellation of the contract and forfeiture of that bidder's bid security. The Board may, however, proceed with the award of the contract for the implementation of the project, if it is of the opinion that the other members of the joint venture or consortium are still capable of carrying out the project or that they have provided a suitable and acceptable substitute with equal or better qualifications.
- (8) The bid and the bid securities shall be kept valid till the process of selection of bidders and the grant of concession is completed. Once the concession is granted, the bid securities shall be returned to the unsuccessful bidders.
- (9) In the event of refusal, inability, or failure of the successful bidder with the lowest complying evaluated bid to make good his bid by entering into Concession Agreement with the board within the specified period, the board shall forfeit the bid security of such bidder. In such an event, the Board shall consider the next complying and qualified lowest evaluated bid for the award. If the same too fails to execute the Concession Agreement, its bid security shall likewise be forfeited, and the Board shall consider the next complying and qualified lowest evaluated bid, and so on until a contract has been entered into. In case, the Board is unable to execute the contract with any of the complying and qualified bidders due to the refusal of the latter, the project shall be subjected to re-bidding.
- (10) When no bids are received, the bidding shall be declared a failure. In such a case, Fresh bidding shall be called for the concerned project.

NEGOTIATIONS OF CONTRACTS

S.

34 Negotiation may be resorted to when there is only one bidder complying with the stipulated pre-qualification conditions

(hereinafter referred to as the "Complying Bidder") as defined hereunder:

- if after advertisement, only one concessionaire applied for pre-qualification, and it meets the pre-qualification requirements;
- (2)if after advertisement, more than one concessionaire applied for pre- qualification, but only one meets the prequalification requirements;
- (3)if after pre-qualification of more than one concessionaires, only one submits a bid; and
- (4) if after pre-qualification, more than one concessionaires submit bids, but only one is found by the Board to be Complying Bidder.

Provided that, any of the aggrieved disqualified bidder may, within a period of fifteen days from the date of decision of the Board, file appeal to the Authority and the same shall be decided by the Authority within a period of twenty-one days from the date of filing of the appeal.

DEVELOPMENT THROUGH SPECIAL PURPOSE VEHICLES

- (1) If at any time after the pre-feasibility stage, the Board is of the prima-facie opinion that a proposed project is unlikely to succeed through private participation, the Board may refer that project to the State Government to get the same executed through special purpose vehicle or vehicles by leveraging the funds available with the Board or other State agencies.
 - (2) In case of private participation in the special purpose vehicles, which are granted Concessions to implement the projects referred to in sub-section (1), those special purpose vehicles shall be governed by the relevant provisions of this Act and rules framed thereunder.

EXECUTION OF CONCESSION AGREEMENT

- (1) Immediately after the issuance of the notice of award under sub-section (4) of section 33, the Board shall execute a Concession Agreement with the awardee or successful bidder. For PPP projects, the concession agreement may be signed by the respective departments or tri-partite agreement with both the board and the respective departments.
 - (2) Where the Board, having regard to the nature of a project is satisfied that, it is necessary to do so, it may permit combination of two or more model contracts of the nature specified in Schedule II into one agreement for the purpose of



private participation in the development, operation and management of the projects.

(3) Where the Board, having regard to the nature of a project is satisfied that, it is necessary to do so, it may permit new model contracts other than those specified in Schedule II for the purpose of private participation in the development, operation and management of the projects.

प्रमाणित पति

लोक सूचना अधिकारी विधान सभा संचिदालय उत्तरस्वण्ड

Chapter-7

PROJECT IMPLEMENTATION

TARIFF

- (1) Notwithstanding anything contained in any other law enacted by the State Legislature, the concessionaire(s) may, charge, recover and appropriate the tariff in accordance with the terms and conditions of the Concession Agreement in respect of use of any facility or product or service related to or arising out of an project, where the development and / or operation and / or maintenance of such project has been done by the concessionaire at its own expense.
 - (2) The right of concessionaire to collect, retain and appropriate tariff shall be assignable to its lenders for the funding of the development, operation and maintenance of the project.
 - (3) Any variation of tariff shall be varied as per provisions of the Concession Agreement. Notwithstanding the provision of concession agreement the authority under exceptional circumstance may also vary the tariff. Provided, the Authority shall not vary the rate of tariff without the consent the concessionaire and the Board. Provided further in cases, where tariff is not specified in the Concession Agreement, the Authority shall determine the tariff by accounting the concessionaire's financials.

ASSIGNMENT

The concessions awarded by the Board shall stipulate assignment and step-in clauses in the event of concessionaire default.

The concessionaire may offer its rights and interest in the Concession Agreement or the project assets as collateral to any of its financer for any financing availed of by the concessionaire, in accordance with assignment clause enabling the concessionaire to assign his rights and interest as aforesaid, subject to the guidelines and regulations issued or made in this behalf.

FEASIBILITY AND VIABILITY OF FINALISED PROJECTS AND GRANTED CONCESSIONS

Once any project has been finalised or a concession granted, the board, State Government and other government departments, etc shall ensure that they do not act in any manner, which results in a material adverse impact on the technical and commercial feasibility or viability of the project or the Concession Agreement.

TERMINATION 40 (1) In case the board considers that it is necessary to terminate any OF THE

प्रमाणित प्रति १ तोक सूबना अधिकारी विधान सभा संविद्यान्। उत्तरस्थान

CONCESSION AGREEMENT

concession, it may terminate the same strictly in accordance with the provisions of the Concession Agreement signed between the parties by passing a speaking order in this behalf, after affording reasonable opportunity of being heard, to such concessionaire. If such concessionaire is aggrieved of any such termination order, he may file an appeal before the Authority or CCIE (in absence of the authority), in this behalf stating the reasons, for setting aside of such order.

(2) Where a Concession Agreement is terminated by the board with or without the consent of the concessionaire, the concessionaire shall be entitled to such amount of compensation for such termination, if and as is specified in the Concession Agreement.

Chapter-8

APPEAL AND OTHER MISCELLANEOUS PROVISIONS

APPEALS FROM THE ORDERS OF AUTHORITY

Any person aggrieved by any decision or order of the Authority or CCIE, may file an appeal to the High Court of Uttarakhand within a period of sixty days from the date of communication of the decision or order of the Authority to him/her.

PENALTIES FOR CONTRAVENTION OF DIRECTIONS OF AUTHORITY

- (1) If a person violates the directions of the Authority, such person shall be punishable to fine, which may extend to fifty thousand rupees and in case of second or subsequent contravention, to fine, which may extend to INR One Lakh only. In case of continuing contravention, with an additional fine, which may extend to five thousand rupees for each day during which such contravention continues after the first contravention.
 - (2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an contravention under this Act has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to, any neglect on the part of any director, manager, or other officer of the company, such director, manager, or other officer, as the case may be, shall also be deemed to be guilty of the contravention and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment specified in this Act, if he proves that the contravention was committed without his knowledge or that he had exercised all due diligence to prevent the commission of such contravention.

> प्रमाणित प्रति 2 लोक सूचना अधिकारी

विधान सभा सचिवालय उत्तराखण्ड

33

POWERS OF STATE 43 GOVERNMENT TO MAKE RULES

- (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.
- (2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power and the matters specifically provided for in this Act, such rules may provide for all or any of the following matters, but not limited to the same, namely:
 - a) prescribing the salary and allowances payable to, and the other terms and conditions of service of the Chairman, and other members:
 - prescribing the form and place for preparing the annual report;
 - prescribing the form and manner of furnishing returns,
 Statements and particulars;
 - d) prescribing the manner for maintaining the accounts and submitting the returns;
 - e) prescribing the salary and allowances payable to, and the other terms and conditions of service of the consultants and other advisors to the board; and
 - f) prescribing the processes and workflows to be followed by the board for execution of its duties.
- (3) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be, after it is made, before the House of the State Legislature, while it is in session, for a total period of fourteen days, which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the successive sessions as aforesaid, the House agrees in making any modification in the rules, or the House agrees, that the rules should not be made, the rules shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so provided that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done or omitted to be done under that rule.

POWER TO ISSUE DIRECTIONS

The State Government shall have the power to issue policy directions to the Board and Authority on matters concerning investment, PPP and infrastructure sectors and the infrastructure projects in the State. All policy directions issued shall be consistent with the provisions of this Act and the rules made there under and the objects sought to be achieved by this Act.

प्रमाणित प्रति 2 लोक सूचना अधिकारी विधान सभा संविद्यालय उत्तरस्मण्ड

SUBSIDY

The State Government may issue guidelines to the board, on a case-by-case basis, concerning the subsidies to be allowed to a class of consumers for providing services or for utilizing facilities of an infrastructure project or infrastructure sector.

CHAIRMAN, VICE
CHAIRMAN,
MEMBERS,
OFFICIALS AND
EMPLOYEES OF
THE AUTHORITY
AND THE BOARD
DEEMED TO BE
PUBLIC SERVANTS
PROTECTION FOR
ACTION TAKEN IN
GOOD FAITH

The Chairman, Vice Chairman, members, officers and other employees of the Authority and the Board, when Acting or purporting to act in pursuance of any of the provisions of this Act, the rules and regulations made there under, shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, (Act No. 45 of 1860).

No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the State Government or the Board or the Authority or any officer of the State Government or the Chairperson, any member, officer or other employee of the Authority or the Board for anything, which is done or intended to be done in good faith under this Act and rules or regulations made there under.

POWER TO REMOVE DIFFICULTIES

- (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act, as may appear to be necessary for removing the difficulty provided that no order shall be made under this section after the expiry of a period of three years from the date of commencement of this Act.
 - (2) Every order made under this section, shall be laid, as soon as may be, after it is made, before the Legislative Assembly.

POWER TO AMEND THE SCHEDULE OVER-RIDING EFFECT ON OTHER LAWS

49 The State Government may, by notification in the Official Gazette amend any Schedule to this Act.

Save as otherwise provided in this Act, the provisions of this Act, or rules or regulations or bye-laws made there under, shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in other law, enacted by the State Legislature and for the time being in force in the State of Uttarakhand.

BAR OF JURISDICTION OF CIVIL COURTS

No order passed or Action taken under this Act, rules or regulations made there under, shall be appealable except as provided in this Act and no civil court shall have jurisdiction in respect of any matter, which the Authority or the Board is empowered to decide and adjudicate upon.

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी विधान सभा संविद्याला उत्तराखण्ड

Repeal and Savings

- **52** (1) The Uttarakhand Investment and Infrastructure (Development and Regulation) Ordinance, 2023 here by repealed.
 - (2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी विधान सभा सविवासय उत्तराखण्ड

SCHEDULE I INFRASTRUCTURE SECTORS

Infrastructure sectors shall include:

- 1. Information Technology related infrastructure
- Transportation Roads, bridges, road transport and related areas, metros and other modes of transportation, etc.
- 3. Urban/Rural infrastructure including:
 - a. water supply and sewerage;
 - b. sewerage and waste water drainage, disposal and treatment;
 - c. internal roads, streets and street lightning;
 - d. solid waste management;
 - e. parks and grounds;
 - f. urban mass transit system;
 - g. public parking related facilities/ multilevel parking; and
 - h. sports and recreational infrastructure
- 4. Industrial estates, Industrial parks, Modern Industrial Townships and Special Economic Zones, etc.
- 5. Irrigation drainage and flood control infrastructure
- 6. Other agricultural infrastructure, including post-harvest facilities like warehousing facilities, cold chains, grading processing and marketing, etc.
- 7. Medical and health care facilities and Medical Education cum Research facilities.
- 8. Tourism related facilities and infrastructure including cultural, historic, heritage and museum facilities.
- Energy including generation, transmission and distribution infrastructure, fuels, renewable energy infrastructure, etc.
- 10. Education infrastructure including technical education, higher education, etc.
- 11. Environment and pollution control infrastructure including WTP, STP, ETP, etc.
- 12. Civil Aviation including airports, flying clubs, aviation training institutes, airport city side development, airport aviation, helipads and related infrastructure, etc.
- 13. Social infrastructure including:
 - a) Reform infrastructure including prisons, Juvenile Homes, etc.
 - Service infrastructure including IT enabled administration and other public services; and
 - c) Social Infrastructure on Public Private Partnership mode including slum rehabilitation, economically weaker Sections housing facilities, old age homes, orphanages, and day care facilities, etc.
- 14. Governance infrastructure including administrative buildings and housing facilities
- 15. Any other project as determined by the State Government.

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी विधान सभा सिन्दालास उत्तरासकर

SCHEDULE II MODEL CONTRACTS

The various model contract to be adopted have been outlined below. The Board may take up:

- 1. Build Lease and Transfer (BLT)
- 2. Build Own and Operate (BOO)
- 3. Build-Own-Operate-and-Transfer (BOOT)
- 4. Build Operate and Transfer (BOT)
- 5. Build Operate and Transfer (Annuity)
- 6. Build Transfer and Operate (BTO)
- 7. Design Build Finance Operate and Transfer (DBFOT)
- 8. Hybrid Annuity Model (HAM)
- 9. Management Agreement
- 10. Operate, Maintain and Transfer (OMT)
- 11. Operate Maintain and Develop (OMD)
- 12. Rehabilitate Operate, Maintain and Transfer (ROMT)
- 13. Rehabilitate Own, Maintain and Operate (ROMO)
- 14. Service Contract Agreement
- 15. Supply, Operate and Transfer Agreement
- 16. Any other PPP contract structure approved by the State or central governments (PPP Cell, Department of Economic Affairs)

प्रमाणित पति

लोक सूचना अधिकारी विधान सभा सविवासः। उत्तराखण्ड

SCHEDULE III FEE LEVIED BY UIIDB

The Fee levied by UIIDB shall include the following:

- UIIDB shall receive the 8% of total income received from successful project, from Regional Administration Authority/Department when process are due to the administration department for project.
- 8% of proceeds received from disinvestment/monetization project shall be payable to UIIDB remaining 92% shall be deposited in ESCROW Account. This 92% amount shall be used as following:
 - a. As per direction of State Government for investment in CAPEX/ Infrastructure Project.
 - b. Payments to Administrative Departments for respective disinvestment / monetization projects as per directions of the State government
- [5%] of external development charges and infrastructure development charges or any other developmental charges levied by the development authorities, if any, collected by the State Government in designated Command Areas around projects undertaken by the board and as notified by the State government; and
- 4. [5%] of stamp duty collections in designated Command Areas around projects undertaken by the board and as notified by the State government.

प्रमाणित पति

लोक सूचना अधिकारी विधान सभा सविदालः उत्तराखण्ड

विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजित ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक ''उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना विकास बोर्ड (UIIDB) के गठन हेतु

2- प्रस्तावित विधेयक में विधायी शक्तियों का सामान्य प्रत्यायोजन मात्र निहित है।

कर सिंह धामी) मुख्यमंत्री

प्रमाणित पति

लोक सूचना अधिकारी विधान सभा संचिपालय उत्तराखण्ड प्रस्तावित विधेयक द्वारा ''उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरवना (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2023'' प्रस्तावित किया जा रहा है।

2— प्रस्तावित विधेयक में राज्य की संचित निधि/आय व्ययक से रू 100 करोड़ की प्रारंभिक आधारभूत निधि (Corpus Fund, One time) का व्यय अंतर्निहित है।

(पुष्कर सिंह धामी) मुख्यमंत्री

प्रमाणित पति

लोक सूचना अधिकारी विधान सभा सचिवालय उत्तराखण्ड प्रस्तावित विधेयक द्वारा "उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2023" प्रस्तावित किया जा रहा है, जिसके प्रावधानों का विवरण निम्नानुसार है:--

- विधेयक के खण्ड-1 में संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंग सम्बंधी उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।
- 2. विधेयक के खण्ड -2 में परिभाषाएँ सम्बंधी उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।
- 3. विधेयक के खण्ड-3 में निजी सहभागिता सम्बंधी उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।
- 4. विधेयक के खण्ड-4 में बोर्ड की स्थापना सम्बंधी उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।
- विधेयक के खण्ड-5 में रिक्तियों से बोर्ड की कार्यवाहियों को अमान्य नहीं किया जाएगा सम्बंधी उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।
- 6. विधेयक के खण्ड-6 में बोर्ड के प्रकार्य एवं शक्तियां सम्बंधी उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।
- 7. विधेयक के खण्ड-7 में क्षेत्रीय उप-समिति और परियोजना कार्यान्वयन उप-समिति सम्बंधी उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।
- 8. विधेयक के खण्ड-8 में बोर्ड का वित्त, लेखा और लेखा परीक्षा सम्बंधी उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।
- 9. विधेयक के खण्ड-9 में बोर्ड के अधिकारी एवं कर्मचारी सम्बंधी उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।
- 10. विधेयक के खण्ड-10 में बोर्ड की उपविधि बनाने की शक्तियाँ सम्बंधी उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।
- 11. विधेयक के खण्ड-11 में निधि का गठन सम्बंधी उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।
- 12. विधेयक के खण्ड-12 में निधि के स्रोत सम्बंधी उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।
- 13. विधेयक के खण्ड–13 में विकास निधि उपयोगिता और वितरण सम्बंधी उपवंध किया जाना प्रस्तावित है।
- 14. विधेयक के खण्ड-14 में प्रा**धिकरण की** स्थापना सम्बंधी उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।
- 15. विधेयक के खण्ड-15 में प्राधिकरण का संघटन सम्बंधी उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।
- विधेयक के खण्ड—16 में प्राधिकरण के कार्य सम्बंधी उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।
- 17. विधेयक के खण्ड-17 में प्राधिकरण को दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त करने का अधिकार सम्बंधी उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।

प्रमाणित पति

लोक सूचना अधिकारी विधान सभा सचिदात्वर

- 18. विधेयक के खण्ड-18 में प्राधिकरण के समक्ष कार्यवाही को न्यायिक कार्यवाही माना जाएगा सम्बंधी उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।
- 19. विधेयक के खण्ड-19 में विनियम बनाने के लिए प्राधिकरण की शक्तियां सम्बंधी उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।
- 20. विधेयक के खण्ड-20 में सभापति की शक्तियां सम्बंधी उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।
- 21. विधेयक के खण्ड-21 में सभापति और अन्य सदस्यों की पदावधि और सेवा की शते सम्बंधी उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।
- 22. विधेयक के खण्ड-22 में कतिपय परिस्थितियों जिनमें सभापति और सदस्य को पद से हटाना और निलंबित करना सम्बंधी उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।
- 23. विधेयक के खण्ड-23 में बैठकें सम्बंधी उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।
- 24. विधेयक के खण्ड-24 में प्राधिकरण की कार्यवाही को अमान्य नहीं करने के लिए रिक्तियां सम्बंधी उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।
- 25. विधेयक के खण्ड-25 में प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी सम्बंधी उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।
- 26. विधेयक के खण्ड-26 में वित्त, लेखा और लेखा परीक्षा सम्बंधी उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।
- 27. विधेयक के खण्ड-27 में विधान सभा को विवरणियां प्रस्तुत करना सम्बंधी उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।
- 28. विधेयक के खण्ड—28 में परियोजना अमिनिर्धारण और प्राथमिकता सम्बंधी उपवंध किया जाना प्रस्तावित है।
- 29. विधेयक के खण्ड-29 में व्यवहारिता रिपोर्ट सम्बंधी उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।
- 30. विधेयक के खण्ड—30 में परियोजना के लिए सार्वजनिक निविदा सम्बंधी उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।
- 31. विधेयक के खण्ड—31 में पूर्व—बोली या पूर्व—अर्हता चरण सम्बंधी उपबंध किया जाना प्रस्तावित
- 32. विधेयक के खण्ड-32 में बोली लगाने का चरण सम्बंधी उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।
- 33. विधेयक के खण्ड-33 में **रियायत का अनुदान** सम्बंधी उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।
- 34. विधेयक के खण्ड-34 में अनुबंधों का परक्रामण (निगोशिएशन) सम्बंधी उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।
- 35. विधेयक के खण्ड—35 में विशेष प्रयोजन साधनों के माध्यम से विकास सम्बंधी उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।
- 36. विधेयक के खण्ड-36 में रियायत करार का निष्पादन सम्बंधी उपवंध किया जाना प्रस्तावित है।

प्रमाणित पति

लोक सूचना अधिकारी विधान सभा सविवालः उत्तराखण्ड

- 37. विधेयक के खण्ड-37 में प्रशुल्क सम्बंधी उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।
- 38. विधेयक के खण्ड-38 में नियतन सम्बंधी उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।
- 39. विधेयक के खण्ड—39 में अंतिम परियोजनाओं और स्वीकृत रियायतों की व्यवहारिता और व्यवहार्यता सम्बंधी उपवंध किया जाना प्रस्तावित है।
- 40. विधेयक के खण्ड-40 में रियायत करार की समाप्ति सम्बंधी उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।
- 41. विधेयक के खण्ड-41 में प्राधिकरण के आदेशों से अपील सम्बंधी उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।
- 42. विधेयक के खण्ड-42 में प्राधिकरण के निर्देशों के उल्लंघन के लिए अर्थदंड सम्बंधी उपबंध किया जाना प्रस्तादित है।
- 43. विधेयक के खण्ड-43 में राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्तियाँसम्बंधी उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।
- 44. विधेयक के खण्ड-44 में निर्देश जारी करने की शक्ति सम्बंधी उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।
- 45. विधेयक के खण्ड-45 में राज सहायता सम्बंधी उपवंध किया जाना प्रस्तावित है।
- 46. विधेयक के खण्ड-46 में प्राधिकरण और बोर्ड के समापति, सदस्य, अधिकारी और अन्य कर्मचारी को लोक सेवक माना जाना सम्बंधी उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।
- 47. विधेयक के खण्ड-47 में **सद्भावना से की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण** सम्बंधी उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।
- 48. विधेयक के खण्ड-48 में किवनाइयाँ दूर करने की शक्ति सम्बंधी उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।
- 49. विधेयक के खण्ड-49 में अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति सम्बंधी उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।
- 50. विधेयक के खण्ड-50 में अन्य कानूनों पर अध्यारोही प्रभाव सम्बंधी उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।
- 51. विधेयक के खण्ड—51 में सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन सम्बंधी उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।

52. विधेयक के खण्ड—52 में निरसन एवं व्यावृत्ति सम्बन्धी उपबंध किया जाना मस्तावित है।

(पुष्कर सिंह धामी) मुख्यमंत्री

प्रमाणित पति

लोक सूचना अधिकारी विधान सभा सिंद्रदाहार उत्तराखणह